वित्तीय मध्यस्थता और बाज़ार

5

अध्याय

भारत के वित्तीय बाज़ारों ने पिछले वर्षों में अधिक मज़बूती और नकदी हासिल की है। वर्ष 1991 के बाद से किए गए सतत् सुधारों के परिणामस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था और इसका वित्तीय तंत्र वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ अधिकाधिक संबद्ध और समेकित होता रहा है। इसलिए कमज़ोर वैश्विक आर्थिक संभावनाओं और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाज़ारों में अनिश्चितताएं बने रहने से उनका प्रभाव उभरती बाज़ार अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ चुका है। विशेषकर यूरो क्षेत्र में व्याप्त सॉवरेन ऋण के जोखिम संबंधी सरोकारों ने वर्ष के अधिकांश समय में वित्तीय बाज़ारों को प्रभावित किया और यूनान के सॉवरेन ऋण की समस्या का असर सामान्य से अधिक अस्थिरता के रूप में भारत और अन्य अर्थव्यवस्थाओं पर छा गया।

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाज़ारों में निधिपोषण संबंधी अड़चनें बैंकों एवं कारपोरेटों के लिए विदेशी निधिपोषण की उपलब्धता और लागत दोनों को प्रभावित कर सकती हैं। चूंकि भारतीय वित्तीय तंत्र पर बैंक का प्रभुत्व है, इसलिए समग्र वित्तीय स्थिरता के लिए दबावों को सह सकने की बैंकों की क्षमता बहुत महत्व रखती है। तथापि, अभी हाल में जोखिम भारित आस्ति की तुलना में पूंजी अनुपात में हुई गिरावट और अनर्जक आस्तियों के स्तरों में उछाल आने के बावजूद भारतीय बैंकों की मज़बूती बरकरार है। पूंजी पर्याप्तता स्तर विनियामक अपेक्षाओं से अधिक है। वित्तीय बाज़ार की अवसरंचना बिना किसी बाधा के कार्य कर रही है। अधिक वैश्वीकरण, वित्तीय तंत्र के समेकन, विनियंत्रण और विविधीकरण के चलते, बैंकिंग कारोबार संभवत: अधिक पेचीदा और जोखिम भरा हो जाएगा। इसलिए, जोखिम और नकदी प्रबंधन तथा कौशल विकास जैसे मुद्दे अधिक महत्वपूर्ण हो रहे हैं।

बैंक ऋण

5.2 वर्ष 2010-11 के दौरान, ऋण वृद्धि ने अपनी रफ्तार बनाए रखी और दिसंबर-अन्त 2010 तक 24.2 प्रतिशत की ऊंचाई पर पहुंच गई। ऋण में हुई यह वृद्धि मज़बूत औद्योगिक पुनरुद्धार और विकास से जुड़ी मांग संबंधी बेहतर स्थितियों की द्योतक है। तथापि, जनवरी 2011 से ऋण वृद्धि में गिरावट हो रही है, हालांकि यह वर्ष भर के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के 20 प्रतिशत के निर्देशात्मक पथ से ऊपर रही है।

5.3 वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) द्वारा दिए गए बैंक ऋण में वृद्धि 16 दिसंबर 2011 की स्थिति के अनुसार 8.2 प्रतिशत थी (पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि में 12.3 प्रतिशत)। वर्षानुवर्ष वृद्धि 16 दिसंबर 2011 की स्थिति के अनुसार 17.1 प्रतिशत थी (पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि में 23.9 प्रतिशत)। इसी अवधि में, खाद्य भिन्न ऋण में हुई वृद्धि 7.9 प्रतिशत थी (पिछले वर्ष में 12.1 प्रतिशत)। वर्षानुवर्ष आधार पर यह वृद्धि दिसंबर-मध्य 2010 के 23.6 प्रतिशत से कम होकर 16 दिसंबर 2011 तक 16.8 प्रतिशत रह गई। यह भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वर्ष 2011-12 के लिए 18 प्रतिशत की निर्देशात्मक अनुमानित दर से कम है (2011-12 की दूसरी त्रैमासिक समीक्षा, तारीख 25 अक्तूबर 2011), जो सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था और बैंकों द्वारा जोखिम से बचने की बढ़ती प्रवृत्ति के मिले-जुले प्रभाव को इंगित करती है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2011-12 की मौद्रिक नीति की तीसरी त्रैमासिक समीक्षा (24 जनवरी 2012) में, पूरे वर्ष के लिए खाद्य-भिन्न ऋण के निर्देशात्मक वृद्धि अनुमान को कम करके 16.0 प्रतिशत पर ला

सारणी 5.1 : बैंक ऋण का प्रवाह

	मार्चांत की स्थिति के अनुसार बकाया			निम्न तिथि को बकाया		वित्तीय वर्ष में अब तक		वर्षानुवर्ष	
			₹ करोड़			(प्रतिशत परिवर्तन)			
	2009	2010	2011	16-दिस. 2011	17-दिस.. 2010	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12
1. बैंक ऋण	2775549	3244788	3942083	4266982	3644569	12.3	8.2	23.9	17.1
(क) खाद्य ऋण	46211	48489	64283	82905	62521	28.9	29.0	38.8	32.6
(ख) खाद्य-भिन्न ऋण	2729338	3196299	3877800	4184077	3582048	12.1	7.9	23.6	16.8
2. सकल जमा	3834110	4492826	5207969	5672592	4806227	7.0	8.9	14.9	18.0
(क) मांग जमा	523085	645610	641705	559935	578514	-10.4	-12.7	10.1	-3.2
(ख) सावधि जमा	3311025	3847216	4566264	5112657	4227714	9.9	12.0	15.5	20.9
3. निवेश	1166410	1384752	1501619	1678851	1445544	4.4	11.8	7.1	16.1
(क) सरकारी प्रतिभूतियां	1155785	1378395	1497148	1675247	1440782	4.5	11.9	-6.8	16.3
(ख) अन्य अनुमोदित	10625	6358	4471	3605	4761	-25.1	-19.4	50.3	-24.3

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

चित्र 5.1 ऋण–जमा अनुपात

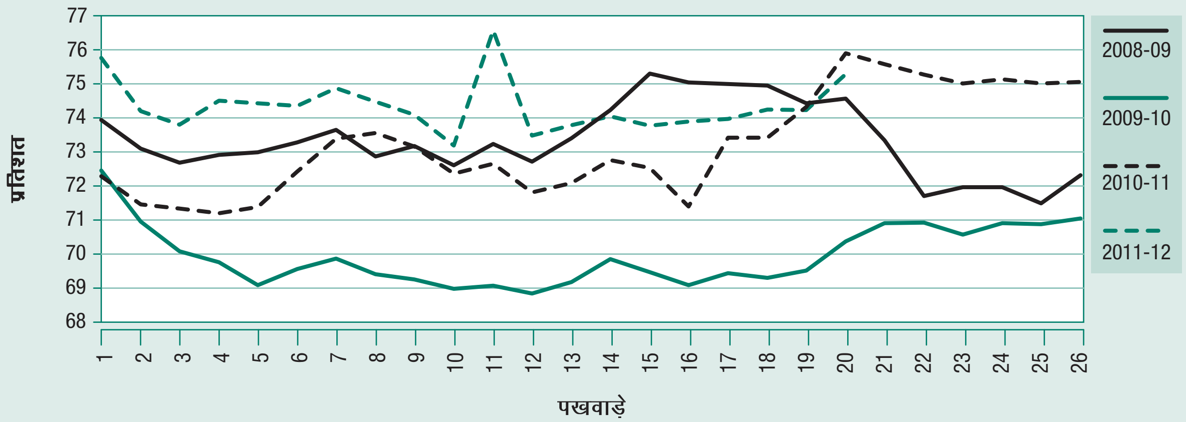

दिया। वर्ष 2011–12 के दौरान समग्र जमाराशियों में हुई वृद्धि 2010–11 की तद्नुरूपी अवधि के 14.9 प्रतिशत की मुकाबले 18.0 प्रतिशत के स्तर पर अधिक रही (सारणी 5.1)। परिणामत: मार्चान्त 2011 और दिसंबर 2011 के बीच ऋण जमा अनुपात में कमी हुई है। (चित्र 5.1)

5.4 वित्त वर्ष 2011–12 के दौरान, दिए गए ऋण की वृद्धि के संदर्भ में सरकारी क्षेत्र और विदेशी बैंकों की तुलना में निजी क्षेत्र के बैंक अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अपेक्षाकृत कम ऋण लिए जाने के कारण, सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में वाणिज्यिक बैंकों का निवेश पिछले वर्ष के 4.4 प्रतिशत के मुकाबले इस वर्ष 11.8 प्रतिशत पर अधिक था। परिणामत: निवेश-जमा अनुपात मार्चान्त 2011 के 28.8 प्रतिशत से बढ़कर 16 दिसंबर 2011 को 29.6 प्रतिशत हो गया (चित्र 5.2)।

ब्याज दरें

i. जमा दरें

5.5 विस्तारकारी मौद्रिक नीति को नपे-तुले तरीके से समाप्त करने और मुद्रास्फीति से निपटने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने मार्च 2010 से रेपो दर में 13 बार 375 आधार बिन्दुओं (बीपीएस) की संचयी बढ़ोतरी की। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पॉलिसी दर में की गई वृद्धि की प्रतिक्रियास्वरूप बैंक अपनी जमा और उधार दरें बढ़ाते रहे हैं।

5.6 वर्ष 2011-12 (दिसंबर–अन्त 2011 तक) के दौरान, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ब्याज दरें विभिन्न परिपक्वताओं की श्रेणी में बढ़ाई गई हैं (बाक्स 5.1)। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा एक से तीन वर्ष की परिपक्वता की जमाराशियों पर दी जा रही ब्याज दर मार्च 2011 के 3.50–10.10 प्रतिशत के मुकाबले दिसंबर 2011 में 3.50–10.50 प्रतिशत के बीच थी जबकि तीन वर्ष

चित्र 5.2 निवेश जमा अनुपात

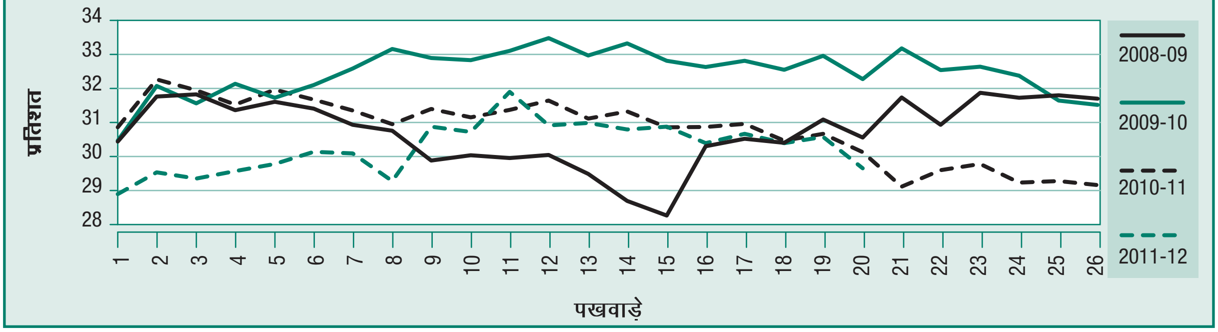

से अधिक की परिपक्वता वाली जमाराशियों पर ब्याज दर मार्च 2011 के 3.50-10.00 प्रतिशत की तुलना में 4.25-10.10 प्रतिशत के बीच रखी गई थी (सारणी 5.2)।

ii. उधार दरें

5.7 1 जुलाई 2010 से शुरू की गई आधार दर प्रणाली ने उधार दरों में पारदर्शिता को बेहतर बनाया है और बैंकों की उधार दरों पर मौद्रिक नीति के प्रेरक तत्वों के प्रभाव का अधिक सुविज्ञ आकलन भी संभव बनाया है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की आधार दरें मार्च 2011 के 6.25-10.00 प्रतिशत के मुकाबले दिसंबर 2011 में 6.25-11.25 प्रतिशत के बीच रखी गई थी (सारणी 5.2)।

iii. अनिवासी भारतीय (एनआरआई) जमाराशियों पर ब्याज-दरें

5.8 अनिवासी जमाराशियां जुटाने में बैंकों को अधिक स्वतंत्रता मुहैया कराने की दृष्टि से और हालिया महीनों में बनी रही बाज़ार स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अनिवासी (बाह्य) रुपया (एनआरई) खातों पर एक वर्ष और अधिक की परिपक्वता वाली बचत एवं सावधि जमाराशियों दोनों पर तथा साधारण अनिवासी (एनआरओ) खातों में बचत जमाराशियों पर ब्याज दरों को 16 दिसंबर 2011 से विनियमन मुक्त कर दिया गया (एनआरओ खातों में सावधि जमाराशियों पर ब्याज दरों का पहले ही विनियंत्रण दिया गया था)। इसे देखते हुए, अनेक बैंकों ने अपनी एनआरई सावधि जमाराशियों पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी।

सारणी 5.2 : जमा और उधार दरों में घट-बढ़

(प्रतिशत)

ब्याज दरें	दिसं-2010	मार्च-2011	जून-2011	सित.2011	दिस.-2011
घरेलू जमा दरें					
(i)सरकारी क्षेत्र के बैंक					
(क) 1 वर्ष तक	1.00-8.25	1.00-9.75	1.00-9.15	1.00-9.55	1.00-9.55
(ख) 1 वर्ष से 3 वर्ष तक	7.00-8.50	8.00-9.75	8.25-9.75	8.55-9.75	8.55-9.75
(ग) 3 वर्ष से अधिक	7.00-8.75	7.75-9.75	8.00-9.75	8.00-9.50	8.00-9.50
(ii)निजी क्षेत्र के बैंक					
(क) 1 वर्ष तक	2.50-8.50	2.50-9.30	2.50-9.30	3.00-9.40	3.00-9.25
(ख) 1 वर्ष से 3 वर्ष तक	7.25-9.00	7.75-10.10	8.00-10.50	8.00-10.50	8.00-10.50
(ग) 3 वर्ष से अधिक	7.00-9.25	7.00-10.00	8.00-10.00	8.00-10.00	8.00-10.10
(iii)विदेशी बैंक					
(क) 1 वर्ष तक	1.25-8.00	2.30-9.00	2.50-9.25	3.00-10.00	3.50-10.00
(ख) 1 वर्ष से 3 वर्ष तक	3.50-8.50	3.50-9.10	3.50-10.00	3.50-9.75	3.50-9.75
(ग) 3 वर्ष से अधिक	3.50-8.50	3.50-9.10	3.50-9.50	4.25-9.50	4.25-9.50
II. आधार दर					
(i) सरकारी बैंक	7.60-9.00	8.25-9.50	9.25-10.00	10.00-10.75	10.00-10.75
(ii) निजी बैंक	7.00-9.00	8.25-10.00	8.50-10.50	9.70-11.00	10.00-11.25
(iii) विदेशी बैंक	5.50-9.00	6.25-9.50	6.25-9.50	6.25-10.75	6.25-10.75
III. बीपीएलआर					
(i) सरकारी बैंक	12.00-14.00	13.00-14.50	13.50-15.00	14.25-15.75	14.25-15.75
(ii) निजी बैंक	13.00-18.00	13.50-19.25	13.75-19.75	13.75-20.50	14.75-21.00
(iii) विदेशी बैंक	10.50-16.00	10.50-16.00	10.50-16.00	10.50-16.50	10.50-16.50

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

टिप्पणी : मूल प्रमुख उधार दर (बीपीएलआर)

बॉक्स 5.1: बचत बैंक जमा पर ब्याज-दर का विनियंत्रण

भारत द्वारा अपनाई जा रही वित्तीय क्षेत्र की सुधार-प्रक्रिया का एक प्रमुख घटक जमा और उधार ब्याज दरों की जटिल संरचना का विनियंत्रण करना रहा है। जमा पक्ष पर, एकमात्र ब्याज दर जो विनियमित की जाती रही, वह थी-बचत जमा पर दी जाने वाली ब्याज दर। ब्याज दरों के क्रमिक विनियंत्रण को देखते हुए, मौद्रिक नीति 2010-11 की दूसरी त्रैमासिक समीक्षा में भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्रस्ताव किया कि "बचत बैंक जमा पर ब्याज दर का विनियंत्रण" एक परिचर्चा पत्र तैयार किया जाएगा। बचत बैंक जमा पर ब्याज दर के विनियंत्रण के पक्ष-विपक्ष पर सोच समझकर विचार करने के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक ने 25 अक्तूबर 2011 से बचत बैंक खातों पर ब्याज दरों का विनियमन समाप्त कर दिया जहां बैंकों को 1 लाख रुपये तक की जमाराशि वाले बचत खातों पर एक-समान ब्याज दर रखनी होगी, जबकि 1 लाख रुपये से अधिक की बचत बैंक जमाराशियों पर विभेदक ब्याज दरें तय की जा सकती हैं।

इस विनियंत्रण से मौद्रिक नीति के सम्प्रेषण में सुधार आने की उम्मीद है। इससे यह भी आशा है कि बचत बैंक दर को बाज़ार की बदलती स्थितियों के अनुरूप निर्धारित करके बचत खातों के आकर्षण में बढ़ोतरी होगी और अर्थव्यवस्था में बचत की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा।

5.9 विदेशी मुद्रा अनिवासी (एफसीएनआरबी) जमाराशियों पर ब्याज दरों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित किया जाना जारी है। इस समय, एफसीएनआर(बी) जमाराशियों पर निर्धारित उच्चतम ब्याज दर 23 नवंबर 2011 से लिबोर जमा 125 आधार बिन्दु है।

iv. रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज दर

5.10 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लदान-पूर्व ऋण हेतु रुपया निर्यात ऋण (180 दिन तक) पर माध्यिक ब्याज दरें (जिन पर 60 प्रतिशत से अधिक कारोबार संविदित किया जाता है) सितंबर 2011 में 10.40-12.63 प्रतिशत के बीच थीं (मार्च 2011 में 9.13-11.50 प्रतिशत)। लदान-पश्च ऋण हेतु रुपया निर्यात ऋण (180 दिन तक) पर ब्याज दरें मार्च 2011 की 8.75-12.25 प्रतिशत की तुलना में सितंबर 2011 में 8.88-12.75 प्रतिशत के बीच थी। रुपया निर्यात ऋण दरों में हुई वृद्धि को ब्याज-दरों में हुई सामान्य बढ़ोतरी के संदर्भ में देखा जा सकता है।

ऋण का क्षेत्रक-वार नियोजन

5.11 47 बैंकों का सकल बैंक ऋण, जो बैंक ऋण और खाद्य-भिन्न ऋण का लगभग 95 प्रतिशत बैठता है के विभिन्न क्षेत्रकों द्वारा किए गए नियोजन के ब्यौरे-वार आंकड़े, जो 18 नवंबर 2011 तक उपलब्ध हैं, दर्शाते हैं कि प्रमुख क्षेत्रों में, कृषि क्षेत्र को

सारणी 5.3 : प्रमुख क्षेत्रकों द्वारा सकल बैंक ऋण का नियोजन

क्रम सं. / क्षेत्र	निम्न तारीख को बकाया (₹ करोड़) 26 मार्च 2010	19 नव. 2010	25 मार्च 2011	18 नव. 2011	घट-बढ़ मार्च 2011/मार्च 2010 संपूर्ण राशि	प्रतिशत	नव. 2011/नव. 2010 संपूर्ण राशि	प्रतिशत
सकल बैंक का ऋण (1+2)	**3088569**	**3371551**	**3731466**	**3950275**	**642897**	**20.8**	**578724**	**17.2**
1. खाद्य ऋण	**48562**	**56248**	**64111**	**77890**	**15549**	**32.0**	**21642**	**38.5**
2. खाद्य-भिन्न ऋण (क से घ)	**3040007**	**3315303**	**3667354**	**3872386**	**627347**	**20.6**	**557083**	**16.8**
क) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	**1092179**	**1148808**	**1239386**	**1253947**	**147207**	**13.5**	**105139**	**9.2**
i) कृषि और संबद्ध क्रियाकलाप	416133	411816	460333	441841	44200	10.6	30025	7.3
ii) अति लघु और लघु उद्यम	373530	407872	454995	473573	81465	21.8	65701	16.1
iii) अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	302516	329120	324058	338533	21542	7.1	9413	2.9
ख) उद्योग (मझोले व बड़े)	**1105051**	**1249843**	**1391747**	**1526358**	**286696**	**25.9**	**276515**	**22.1**
ग) थोक व्यापार (खाद्य अधिप्राप्ति के अतिरिक्त)	**86357**	**95002**	**103584**	**112747**	**17227**	**19.9**	**17745**	**18.7**
घ) अन्य क्षेत्र	**756420**	**821650**	**932637**	**979334**	**176217**	**23.3**	**157684**	**19.2**
कुल खाद्य-भिन्न सकल बैंक ऋण में से								
1. आवास (प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र आवासन सहित)	300929	327391	346110	372503	45181	15.0	45112	13.8
2. उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	8294	8928	10156	8168	1862	22.4	-760	-8.5
3. वाणिज्यिक स्थावर संपदा	92128	105479	111836	116670	19708	21.4	11191	10.6
4. पर्यटन और होटल और रेस्तरां	19410	26470	27729	30260	8319	42.9	3790	14.3
5. शेयरों, बांडों इत्यादि के एवज में व्यक्तियों को ऋण	2863	2935	3613	3612	750	26.2	677	23.1

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक।

टिप्पणी: आंकड़े अनन्तिम हैं और उन चयनित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से संबंधित हैं, जिनका सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के सकल बैंक ऋण में लगभग 95 प्रतिशत हिस्सा है।

दिए गए ऋण (वर्षानुवर्ष) में 7.3 प्रतिशत वृद्धि की गई (मार्च 2011 में 10.6 प्रतिशत) जबकि उद्योग (मध्यम और बड़े) को दिए गए ऋण में मार्च 2011 के 25.9 प्रतिशत के मुकाबले 22.1 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। थोक व्यापार को दिए जाने वाले ऋण में मार्च 2011 के 19.9 प्रतिशत की तुलना में 18.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

5.12 प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को मिलने वाले ऋण में मार्च 2011 के 13.5 प्रतिशत के मुकाबले नवंबर 2011 में 9.2 प्रतिशत (वर्षानुवर्ष) वृद्धि हुई। प्राथमिकता-प्राप्त उप-क्षेत्रों में, अतिलघु और लघु उद्यमों (एमएसई) (सेवा-क्षेत्र के उद्यम सहित) को मिलने वाले ऋण में मार्च 2011 के 21.8 प्रतिशत की तुलना में नवंबर 2011 में 16.1 प्रतिशत (वर्षानुवर्ष) वृद्धि दर्ज की गई। (सारणी 5.3)।

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार

5.13 समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) अथवा तुलन-पत्र से इतर जोखिम (ओबीई) की समतुल्य ऋणराशि के 40 प्रतिशत, जो भी पिछले वर्ष के 31 मार्च को अधिक हो, का लक्ष्य घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार देने के लिए निर्धारित किया गया है। इसी में आगे, एएनबीसी अथवा ओबीई की समतुल्य ऋणराशि के 18 प्रतिशत और 10 प्रतिशत के उप-लक्ष्य क्रमशः कृषि क्षेत्र और कमज़ोर वर्गों को उधार देने के लिए निर्धारित किए गए हैं।

5.14 भारत में कार्यालय चलाने वाले विदेशी बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने के लिए एएनबीसी अथवा ओबीई की समतुल्य ऋणराशि के 32 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। विदेशी बैंकों द्वारा हासिल किए जाने वाले 32 प्रतिशत के समग्र लक्ष्य के भीतर ही अति लघु और लघु उद्यमों तथा निर्यात क्षेत्र को दिए जाने वाले अग्रिम एएनबीसी के और ओबीई की समतुल्य ऋण राशि, क्रमशः 10 प्रतिशत और 12 प्रतिशत जो भी अधिक हो, से कम नहीं होने चाहिए।

5.15 मार्च 2009, 2010 और 2011 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार, सरकारी-क्षेत्र, निजी क्षेत्र और विदेशी बैंकों द्वारा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को दिए गए बकाया अग्रिम सारणी 5.4 में प्रस्तुत किए गए हैं। कुछ सरकारी, निजी और विदेशी बैंकों के मामले में लक्ष्य पूरा करने में कमियां रही हैं।

5.16 प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को प्राप्त सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बकाया अग्रिम मार्च 2010 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार के 8,63,777 करोड़ रूपये से बढ़कर मार्च 2011 के अंतिम रिपार्टिंग शुक्रवार को

सारणी 5.4 : प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए गए अग्रिमों का ब्यौरा

(₹ करोड़)

अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति	मार्च 2009	मार्च 2010	मार्च 2011 (अनंतिम)
क. सरकारी क्षेत्र के बैंक			
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को कुल अग्रिम	724150 (42.8)	863777 (41.55)	1028614 (41.25)
कृषि क्षेत्र को कुल अग्रिम#	299415 (17.7)	372463 (17.28)	414991 (16.53)
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को कुल अग्रिम	191408 (11.3)	276318 (13.3)	376625 (15.1)
कमज़ोर वर्गों को अग्रिम	165829 (9.8)	211376 (10.17)	246316 (9.88)
ख. निजी क्षेत्र के बैंक			
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को कुल अग्रिम	187849 (46.2)	214669 (45.8)	248827 (46.64)
कृषि क्षेत्र को कुल अग्रिम#	76103 (18.7)	90737 (15.58)	92135 (15.75)
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को कुल अग्रिम	46656 (11.5)	64824 (13.83)	87856 (16.47)
कमज़ोर वर्गों को अग्रिम	14262 (3.5)	25532 (5.44)	5989 (5.64)
ग. विदेशी बैंक			
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को कुल अग्रिम	55483 (34.3)	59959 (36.03)	66527 (38.61)
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को कुल अग्रिम	18138 (11.2)	21147 (12.70)	21500 (12.48)
कुल निर्यात ऋण (एसएसआई निर्यात सहित)	31511 (19.4)	35167 (21.13)	42486 (24.66)

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

टिप्पणी:# अप्रत्यक्ष कृषि को केवल एएनबीसी अथवा ओबीई ऋण के समतुल्य राशि, के 4.5 प्रतिशत जो भी अधिक हो, तक गणना में लिया जाता है।
कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े एएनबीसी या ओबीई की ऋण समतुल्य राशि, जो भी अधिक हो, के प्रति अग्रिमों की प्रतिशतता को दर्शाते है।

10,28,614 करोड़ रूपये हो गए जो 19.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। यद्यपि मार्च 2011 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने एक समूह के रूप में समग्र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार का लक्ष्य हासिल कर लिया था, 27 बैंकों में से सात बैंकों ने व्यष्टि रूप से लक्ष्य हासिल नहीं किया।

5.17 निजी क्षेत्र के बैंकों के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक के बकाया अग्रिम मार्च 2010 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार 2,14,669 करोड़ रुपए से बढ़कर 15.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए मार्च 2011 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार 2,48,827 करोड़ रुपए हो गए। मार्च 2011 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार एक समूह के रूप में निजी क्षेत्र के बैंकों ने समग्र उधार लक्ष्य हासिल कर लिया था तथा 21 बैंकों में से सिर्फ एक बैंक ने व्यष्टि रूप से लक्ष्य हासिल नहीं किया।

5.18 विदेशी बैंकों के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक के बकाया अग्रिम मार्च 2010 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार 59,959 करोड़ रुपए में 11.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए मार्च 2011 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार 66,527 करोड़ रुपए हो गए। विदेशी बैंकों ने भी मार्च 2011 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार एक समूह के रूप में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक उधार का समग्र लक्ष्य हासिल कर लिया था। तथापि, 30 विदेशी बैंकों में से तीन व्यष्टि रूप से लक्ष्य हासिल नहीं किया था।

लघु वित्त

5.19 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लघु ऋण को मुख्य धारा में शामिल करने तथा लघु ऋण प्रदायकों का पहुंच क्षेत्र बढ़ाने के लिए जारी दिशानिर्देशों में अन्य बातों के अलावा यह निर्दिष्ट किया गया था कि बैंकों द्वारा व्यष्टि उधारकर्ताओं को सीधे अथवा किसी मध्यवर्ती के माध्यम से दिया गया लघु ऋण इसके बाद उनके प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए गए ऋण का हिस्सा माना जाएगा। तथापि, लघु वित्त के लिए कोई विशिष्ट मॉडल निर्धारित नहीं किया गया था तथा बैंकों को लघु ऋण देने के लिए अपने स्वयं के मॉडल बनाने अथवा किसी माध्यम/मध्यवर्ती को चुनने की स्वतंत्रता दी गई थी।

5.20 हालांकि लघु वित्त प्रबंधन के लिए भिन्न-भिन्न मॉडल हैं, स्व-सहायता समूह (एसएचजी)-बैंक लिंकेज कार्यक्रम देश में प्रमुख लघु-वित्तपोषण कार्यक्रम के तौर पर उभर कर आया है। इसे वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। एसएचजी-बैंक लिंकेज कार्यक्रम के अंतर्गत 31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार स्व-सहायता समूहों द्वारा धारित 74.62 लाख बचत बैंक खाते थे, जिनमें कुल बचत 7,016 करोड़ रुपए थी, जबकि 31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार 6,199 करोड़ रुपए की बचत वाले 69.53 लाख खाते स्वसहायता समूहों द्वारा धारित थे। दिसम्बर 2011 तक 77.60 लाख एसएचजी के बचत लिंकेज समूह की संचयी संख्या वाले अन्य 2.98 लाख एसएचजी इस कार्यक्रम के दायरे में आ गए।

5.21 31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार, 28,038 करोड़ रुपए के बैंक ऋण वाले 48.5 लाख एसएचजी की तुलना में 31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार 47.87 लाख एसएचजी 31,221 करोड़ रुपए के बकाया बैंक ऋण थे। यह एसएचजी की संख्या में 1.3 प्रतिशत की गिरावट तथा एसएचजी को बकाया बैंक ऋणों में 11.4 प्रतिशत की वृद्धि का द्योतक हैं (सारणी 5.5)। 2011-12 के दौरान (दिसम्बर 2011 तक), 4.51 लाख एसएचजी को 6,791.46 करोड़ रुपए की धनराशि का वित्तपोषण किया गया है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के आंकड़ों के अनुसार, 31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार एसएचजी के संबंध में सकल अनर्जक आस्तियां (एनपीए) बकाया बैंक ऋणों का 4.7 प्रतिशत थी।

ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ)

5.22 आरआईडीएफ के तहत निधियों का वार्षिक आबंटन 1995-96 (आरआईडीएफ I) में 2,000 करोड़ रुपए से क्रमिक रूप से बढ़कर 2011-12 (आरआईडीएफ XVII) में 18,000

सारणी 5.5 : लघु वित्त कार्यक्रम की प्रगति

वर्ष	बैंकों द्वारा वित्तपोषित नए एस एच जी वर्ष के दौरान			31 मार्च 2011 की स्थिति को बकाया बैंक ऋण*		
	सं. (लाख)	राशि (₹ करोड़)	वृद्धि (%)	सं. (लाख)	राशि (₹ करोड़)	वृद्धि (%)
2007-08	12.28	8,849.26	-	36.26	16,999.90	-
2008-09	16.09	12,256.51	38.50	42.24	22,679.85	33.41
2009-10	15.87	14,453.30	17.90	48.52	28038.28	23.62
2010-11	11.96	14,547.73	0.65	47.87	31221.17	11.35

स्रोत: राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
टिप्पणी: *इसमें विद्यमान एस एच जी को पुनरावृत्त ऋण

बॉक्स 5.2 : लघु वित्त संस्थाओं (एमएफआई) को बैंक ऋणः प्राथमिकता प्राप्त-क्षेत्रक की प्रास्थिति

भारतीय रिजर्व बैंक ने लघु वित्त क्षेत्र के मुद्दों और सरोकारों का अध्ययन करने के लिए एक समिति गठित की थी (अध्यक्षः श्री वाईएच मालेगम)। इस समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर आर बी आई द्वारा सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को सलाह दी गई है कि 1 अप्रैल 2011 को अथवा उसके बाद से लघु वित्त संस्थाओं को व्यक्तियों को आगे उधार देने तथा एसएचजी/संयुक्त-दायित्व समूह (जेएलजी) के सदस्यों को दिए गए बैंक ऋण कृषि, एमएसई और लघु ऋण (अन्य प्रयोजनों के लिए) की श्रेणियों के तहत अप्रत्यक्ष वित्त के तौर पर प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रक के अग्रिम के रूप में माने जाने के लिए पात्र होंगे, बशर्ते एमएफआई की कुल आस्तियों का कम से कम 85 प्रतिशत (बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के पास नकद शेष, सरकारी प्रतिभूतियों और मुद्रा बाज़ार लिखतों को छोड़कर) अर्हक आस्तियों के स्वरूप का हो। इसके अतिरिक्त, एम एफ आई द्वारा आय अर्जन क्रियाकलाप के लिए दी गई ऋण की कुल राशि, कुल ऋणों के 75 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए।

उपर्युक्त समिति ने सिफारिश की कि प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को दिए जाने वाले बैंक उधार संबंधी मौजूदा दिशानिर्देशों पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। तदनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक ने यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक श्री एम वी नायर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है जो मौजूदा वर्गीकरण की पुनः जांच करेगी और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के उधार-वर्गीकरण और संबंधित मुद्दों के संबंध में संशोधित दिशा-निर्देशों का सुझाव देगी।

करोड़ रुपए हो गया है। सकल आबंटन 1,34000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुके हैं। इसके अतिरिक्त, भारत निर्माण कार्यक्रम के ग्रामीण सड़क संघटक का वित्तपोषण करने के लिए एक पृथक विंडो की शुरुआत वर्ष 2006-07 में की गई है जिसमें किया गया संचयी आबंटन वर्ष 2010-11 तक 18,500 करोड़ रुपए है।

सारणी 5.6 : आरआईडीएफ और भारत निर्माण (ग्रामीण सड़क संघटक) के अंतर्गत स्वीकृतियां और संवितरण

(31 दिसंबर, 2011 की स्थिति के अनुसार)(करोड़ ₹)

क्षेत्र	स्वीकृतियां	संवितरण	स्वीकृति के प्रतिशत के रूप में संवितरण
दक्षिण	34573	23618	68
पश्चिम	19211	13325	69
उत्तर	38416	26447	69
मध्य	10988	6779	62
पूर्व	23250	12960	56
पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम	6369	3501	55
उपजोड़	**132808**	**86631**	**65**
भारत निर्माण			
ग्रामीण सड़क संघटक	18500	18500	100
कुल जोड़	**151308**	**105131**	**69**

स्रोत : नाबार्ड (राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक)

सारणी 5.7 : वर्ष 2011-12 के दौरान आरआईडीएफ के अंतर्गत संवितरण

(31 दिसम्बर 2011 की स्थिति के अनुसार) (₹ करोड़)

क्षेत्र	संवितरण		उपलब्धि (प्रतिशत)
	लक्ष्य	उपलब्धि	
दक्षिण	3200	1711	53
पश्चिम	2060	514	25
उत्तर	4510	2254	50
मध्य	1080	411	38
पूर्व	3540	1014	29
पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम	610	214	35
जोड़	**15000**	**6118**	**41**

स्रोत : नाबार्ड

5.23 आरआईडीएफ I से XVII तक के लिए किए गए 1,34,000 करोड़ रुपए के कुल आबंटन में से, विभिन्न राज्य सरकारों को कुल मिलाकर 1,32,808 करोड़ रुपए की स्वीकृतियां प्रदान की जा चुकी हैं और दिसम्बर, 2011 के अंत तक 86,631 करोड़ रुपए की निधियां संवितरित की जा चुकी हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेन्सी को 18,500 करोड़ रुपए (आरआईडीएफ XII से आरआईडीएफ XV) की सम्पूर्ण राशि स्वीकृत की गई (सारणी 5.6)। 2011-12 के दौरान, दिसम्बर, 2011 के अंत तक आरआईडीएफ के अन्तर्गत राज्यों को कुल संवितरण 6,118 करोड़ रुपए था (सारणी 5.7)।

कृषि ऋण

कृषि ऋण का प्रवाह

5.24 भारतीय बैंकिंग प्रणाली ने कृषि क्षेत्र को 2010-11 में 3,75,000 करोड़ के लक्ष्य की तुलना में 4,46,779 करोड़ रुपए का ऋण संवितरित किया, और इस तरह यह लक्ष्य से लगभग 19 प्रतिशत अधिक हो गया। वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने मिलकर 2010-11 के दौरान 104.96 लाख नए किसानों को ऋण प्रदान किए और सहकारी बैंकों ने 22.30 लाख नए किसानों को ऋण प्रदान किए। इस प्रकार बैंकिंग प्रणाली द्वारा नव-वित्तपोषित किसानों की कुल संख्या 127.26 लाख हो गई है। मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार वित्तपोषित किए गए कृषि ऋणों की कुल संख्या 5.50 करोड़ थी। वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा 2011-12 के दौरान अक्टूबर 2011 तक कृषि क्षेत्र को कुल ऋण प्रवाह 262,129 करोड़ रुपए का था, जो 4,75,000 करोड़ रुपए के वार्षिक लक्ष्य का 55 प्रतिशत है (सारणी 5.8)।

किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना

5.25 बैंकिंग प्रणाली ने 31 अक्टूबर 2011 की स्थिति के अनुसार 5,27,052 करोड़ रुपए के कुल स्वीकृत ऋण की सीमा के साथ

सारणी 5.8 : कृषि और सम्बद्ध गतिविधियों को संस्थागत ऋण का प्रवाह

(करोड़ ₹)

क्र॰सं॰	एजेन्सी	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11^	2011-12*
1.	सहकारी बैंक $	42480	48258	46192	63497	70105	53187
	प्रतिशत हिस्सा	**18**	**19**	**15**	**17**	**16**	**20**
2.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	20435	25312	26765	35218	43968	29073
	प्रतिशत हिस्सा	**9**	**10**	**9**	**9**	**10**	**11**
3.	वाणिज्यिक बैंक	166485	181088	228951	285799	332706	179869
	प्रतिशत हिस्सा	**73**	**71**	**76**	**74**	**74**	**69**
	योग (1+2+3)	**229400**	**254658**	**301908**	**384514**	**446779**	**262129**

स्रोत : नाबार्ड

टिप्पणी : ' 30 अक्तूबर, 2011 तक। $ अन्य शामिल हैं ^ अनंतिम

1,078.36 लाख केसीसी जारी किए हैं। वाणिज्यिक बैंकों का हिस्सा कुल संख्या का 45.6 प्रतिशत है, उसके बाद सहकारी बैंक का हिस्सा 39.4 प्रतिशत और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का हिस्सा 15.1 प्रतिशत है। वर्षानुवर्ष एजेन्सी-वार जारी किए गए किसान क्रेडिट कार्ड और स्वीकृत राशि सारणी 5.9 में दी गई है।

कृषि ऋण माफी तथा ऋण राहत (एडीडब्ल्यूडीआर) योजना 2008

5.26 नाबार्ड सहकारी ऋण संस्थाओं तथा ग्रामीण बैंकों के संबंध में कृषि ऋण माफी तथा ऋण राहत (एडीडब्ल्यूडीआर) योजना 2008 के क्रियान्वयन हेतु नोडल अभिकरण है। 31 दिसम्बर

सारणी 5.9 : एजेन्सी वार जारी किए गए किसान क्रेडिट कार्ड और स्वीकृत राशि

(31 अक्तूबर, 2011 की स्थिति के अनुसार)

एजेन्सी	जारी कार्ड (लाख)					स्वीकृत राशि (करोड़ ₹)				
	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	कुल#	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	कुल#
सहकारी बैंक	13.44	17.43	28.12	17.58	424.57	8428	7606	10719	7461	158775
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	14.15	19.50	17.74	10.57	162.53	5648	10132	11468	6568	71998
वाणिज्यिक बैंक	58.34	53.13	55.83	11.79*	491.26*	39009	39940	50438	12652*	296279*
कुल	**85.92**	**90.06**	**101.69**	**39.94**	**1078.36**	**53085**	**57678**	**72625**	**26681**	**527052**

स्रोत : नाबार्ड

टिप्पणी : * 30 जून 2011 तक #स्कीम की शुरुआत में (1998)

बॉक्स 5.3 किसानों को ब्याज सहायता राहत

केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा 2006-07 में बजट भाषण में की गई घोषणा के परिणामस्वरूप, सरकारी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं को सलाह दी गई थी कि खरीफ 2006-07 से सरकार 3 लाख रुपए तक के अल्पावधिक उत्पादन ऋण पर प्रतिवर्ष 2 प्रतिशत की ब्याज दर सहायता प्रदान करेगी। यह आर्थिक सहायता सरकारी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और ग्रामीण सहकारी बैंकों के लिए इस शर्त पर उपलब्ध थी कि वे प्रतिवर्ष 7 प्रतिशत की दर पर अल्पावधिक ऋण उपलब्ध कराएंगे। आरआरबी और ग्रामीण सहकारी बैंकों के मामले में यह उनकी अपनी निधियों से संवितरित अल्पावधिक उत्पादन ऋण पर ही लागू था और इसमें नाबार्ड की पुनर्वित्त व्यवस्था से समर्थित ऐसा ऋण शामिल नहीं था।

वर्ष 2010-11 के केन्द्रीय बजट की घोषणा के अनुसरण में, सरकारी क्षेत्र के बैंकों, सहकारी बैंकों और आरआरबी द्वारा संवितरित 3.0 लाख रुपए तक के अल्पावधिक कृषि ऋण के लिए 1.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज सहायता देने का निर्णय लिया गया। शीघ्र अदायगी के लिए अतिरिक्त सहायता बढ़ाकर प्रतिवर्ष 2 प्रतिशत कर दी गई है ताकि ऐसे किसानों को 3.0 लाख रुपए तक की राशि पर 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर प्रभावी ब्याज दर प्रभारित किया जा सके। 2011-12 के बजट में, भारत सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा संवितरित किए गए 3.0 लाख रुपए तक के अल्पावधिक कृषि ऋणों के लिए 1.5 प्रतिशत वार्षिक दर की ब्याज सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव किया। शीघ्र भुगतान करने वाले किसानों के लिए अतिरिक्त सहायता 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष तक बढ़ाने का भी प्रस्ताव किया गया है जिससे कि इन किसानों से 3.0 लाख तक के ऋण पर 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष की प्रभावी ब्याज दर वसूली जाए।

सारणी 5.10 : एडीडब्ल्यूडीआर के तहत निर्मुक्ति

(31 दिसंबर 2011 के अनुसार) (₹ करोड़)

एजेंसी	ऋण माफी	ऋण राहत	जोड़
राज्य सहकारी बैंक	15636.59	2650.57	18287.16
एससीएआरडीबी	3424.40	418.05	3842.45
आरआरबी	6052.93	917.40	6970.33
जोड़	25113.92	3986.02	29099.94

स्रोत: नाबार्ड

टिप्पणी : एससीएआरडीबी-राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, आरआरबी-क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

2011 की स्थिति के अनुसार नाबार्ड ने ऋण माफी के लिए 25,113.92 करोड़ रुपए की तथा ऋण राहत दावों के लिए 3986.02 करोड़ रुपए की राशि निर्मुक्त की है। एडीडब्ल्यूडीआर के तहत निर्मुक्तियों का एजेंसीवार ब्यौरा सारणी 5.10 में दिया गया है।

बैंकों का वित्तीय निष्पादन

5.27 चुनौती भरे प्रचालन माहौल के बावजूद, भारतीय बैंकिंग क्षेत्र ने 2010-11 में हाल की वैश्विक वित्तीय हलचल के बाह्य प्रभावों से निकलकर पुनरुत्थान का प्रदर्शन जारी रखा है। यह अन्य बातों के साथ-साथ उच्च क्रेडिट वृद्धि, जमा वृद्धि, आस्तियों पर बेहतर प्रतिलाभ, सुदृढ़ पूंजी और जोखिम भारित आस्ति अनुपात तथा सकल अनर्जक आस्ति अनुपात में हुए सुधार में दिखाई दिया। तथापि, भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में कतिपय चिंताएं बरकरार हैं।

सारणी 5.11 : अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के कार्यचालन परिणाम

मदें	सरकारी क्षेत्र के बैंक		विदेशी बैंक		निजी क्षेत्र के पुराने बैंक		निजी क्षेत्र के नए बैंक		सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
				(₹ करोड़)						
क. आय	354876	414183	36341	39494	23649	26328	79580	91225	494446	571230
i) ब्याज आय	305983	366318	26390	28522	20497	23299	62309	73528	415179	491667
ii) अन्य आय	48893	47865	9951	10972	3152	3029	17271	17697	79267	79563
ख. व्यय	315619	369282	31600	31775	21336	23226	68782	76614	437337	500897
i) व्यय किया गया ब्याज	211940	231153	8938	10622	14076	14768	37130	42347	272084	298890
ii) प्रचालन व्यय	66075	82965	11102	12558	4715	5600	18136	22006	100028	123129
iii) प्रावधान और आकस्मिक व्यय	37604	55164	11560	8595	2545	2858	13516	12261	65225	78878
ग. परिचालन लाभ (क-खi-ख ii)	76861	100065	16301	16314	4858	5960	24314	26872	122334	149211
घ. निवल लाभ (क-ख)	39257	44901	4741	7719	2313	3102	10798	14611	57109	70333
ङ निवल ब्याज आय (विस्तार) (क i-ख i)	94043	135165	17452	17900	6421	8531	25179	31181	143095	192777
च. कुल परिसम्पत्तियां	4440827	5293817	435362	491528	268905	309011	881831	1089165	6026925	7183521
छ. निवल आय (क ii+ङ)	142936	183030	27403	28872	9573	11560	42450	48878	222362	272340
				कुल आस्ति के प्रतिशत के रूप में						
क. आय	7.99	7.82	8.35	8.03	8.79	8.52	9.02	8.38	8.20	7.95
i) ब्याज आय	6.89	6.92	6.06	5.80	7.62	7.54	7.07	6.75	6.89	6.84
ii) अन्य आय	1.10	0.90	2.29	2.23	1.17	0.98	1.96	1.62	1.32	1.11
ख. व्यय	7.11	6.98	7.26	6.46	7.93	7.52	7.80	7.03	7.26	6.97
i) व्यय किया गया ब्याज	4.77	4.37	2.05	2.16	5.23	4.78	4.21	3.89	4.51	4.16
ii) प्रचालन व्यय	1.49	1.57	2.55	2.55	1.75	1.81	2.06	2.02	1.66	1.71
iii) प्रावधान और आकस्मिक व्यय	0.85	1.04	2.66	1.75	0.95	0.92	1.53	1.13	1.08	1.10
ग. परिचालन लाभ (क-ख i-ख ii)	1.73	1.89	3.74	3.32	1.81	1.93	2.76	2.47	2.03	2.08
घ. निवल लाभ (क-ख)	0.88	0.85	1.09	1.57	0.86	1.00	1.22	1.34	0.95	0.98
ङ निवल ब्याज आय (विस्तार) (क i-ख i)	2.12	2.55	4.01	3.64	2.39	2.76	2.86	2.86	2.37	2.68

स्रोत : वर्ष 2010-11 में भारत में बैंकों से संबंधित सांख्यिकीय सारणियां।

5.28 वर्ष 2010-11 में, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के समेकित तुलन पत्र में समग्र वृद्धि 19.2 प्रतिशत थी जो पिछले वर्ष के दौरान की 15.0 प्रतिशत की वृद्धि से अधिक है। इसके अलावा, निजी क्षेत्र के पुराने बैंकों को छोड़कर सभी बैंक समूह के तुलनपत्रों में वृद्धि देखी जा सकती है। विभिन्न बैंकों समूहों के तहत एससीबी के कार्यकारी परिणाम सारणी 5.11 में दिए गए हैं। तुलन पत्र के देयता के पक्ष पर, वृद्धि मुख्यत: उधारों, पूंजी तथा अन्य देनदारियों और प्रावधानों से प्रेरित थी। जमा राशियों में भी 2010-11 में पिछले वर्ष की तुलना में अधिक वृद्धि देखी गई। एससीबी की जमा राशियों में वृद्धि 2009-10 के 16.8 प्रतिशत से बढ़कर 2010-11 में 18.3 प्रतिशत हो गई। तुलन पत्र के आस्ति पक्ष के संदर्भ में, वृद्धि मुख्यत: ऋणों और अग्रिमों से प्रेरित रही। क्रेडिट वृद्धि 2009-10 के 16.6 प्रतिशत की तुलना में 2010-11 में 22.9 प्रतिशत थी। मार्चान्त 2011 में क्रेडिट जमा अनुपात 76.5 प्रतिशत था जो मार्चान्त 2010 के 73.6 प्रतिशत के अनुपात से अधिक है।

5.29 वर्ष 2010-11 के दौरान क्रेडिट वृद्धि के प्रमुख प्रेरक सेवा क्षेत्र और वैयक्तिक ऋण थे। कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों को दिए जाने वाले क्रेडिट की वृद्धि में 2010-11 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में कमी देखी गई।

5.30 बैंकों द्वारा किए जाने वाले निवेशों की वृद्धि 2009-10 के 19.3 प्रतिशत से घटकर 2010-11 में 10.8 प्रतिशत रह गई। वर्ष 2010-11 में, बैंकिंग क्षेत्र के कुल निवेशों का लगभग तीन चौथाई मुख्यत: सांविधिक नकदी अनुपात (एसएलआर) की जरूरतें पूरी करने और अल्पावधिक मुद्रा बाजार से निधियां जुटाने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों में चला गया। यद्यपि, सरकारी प्रतिभूतियों में बैंकिंग क्षेत्र के निवेशों में 2010-11 में पिछले वर्ष की तुलना में अपेक्षाकृत कम वृद्धि दर्ज की गई। एससीबी के गैर-एसएलआर निवेशों में मार्च 2011 में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में गिरावट देखी गई।

5.31 बैंकिंग क्षेत्रों के समेकित निवल लाभों में मुख्यत: ब्याज आय में अधिक वृद्धि होने के कारण 2009-10 में देखी गई गिरावट के विपरीत 2010-11 में अधिक वृद्धि दर्ज हुई। लाभप्रदता का सबसे विशेष संकेतक, आस्तियों पर मिलने वाला प्रतिफल (आरओए) 2009-10 के 1.05 प्रतिशत से बेहतर होकर 2010-11 में 1.10 प्रतिशत हो गया। इसके अतिरिक्त, इक्विटी पर मिलने वाला प्रतिफल (आरओई) भी 2009-10 में 14.31 प्रतिशत से बढ़कर 2010-11 में 14.96 प्रतिशत हो गया।

5.32 बैंकों द्वारा सार्वजनिक निर्गमों के माध्यम से जुटाए गए संसाधनों में 2010-11 में विशेषकर मार्च 2011 के दौरान खासी वृद्धि देखी गई जब कुल संसाधनों का 70 प्रतिशत जुटाया गया था। बैंकों द्वारा निजी नियोजनों के जरिए जुटाए गए संसाधन मुख्यत: निजी क्षेत्र के बैंकों जिन्होंने 64 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की, के कारण 2010-11 में पिछले वर्ष की अपेक्षा 40 प्रतिशत कम हो गए।

पूंजी पर्याप्तता अनुपात

5.33 बाज़ेल I और II दोनों के तहत सभी बैंक समूहों का पूंजी और जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) 2010-11 में 9 प्रतिशत के निर्धारित विनियामक मापदंड से काफी अधिक बना रहा। एससीबी का सीआरएआर मार्चान्त 2011 में बाज़ेल I के तहत 13.0 प्रतिशत और बाज़ेल II के तहत 14.2 प्रतिशत आंका गया था।

बैंकिंग क्षेत्र की अनर्जक आस्तियां

5.34 बैंकिंग क्षेत्र की आस्तियों की गुणवत्ता पिछले वर्ष की अपेक्षा 2010-11 में सुधरी है। सकल एनपीए (जीएनपीए) और सकल अग्रिम का अनुपात पिछले वर्ष के 2.4 प्रतिशत से घटकर 2010-11 में 2.3 प्रतिशत रह गया। तथापि, समग्र राशि के संदर्भ में, जीएनपीए अपेक्षाकृत धीमी दर पर ही सही, पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में बढ़ा है। आस्ति की गुणवत्ता में हुआ सुधार निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों दोनों में देखा गया। तथापि, सरकारी क्षेत्र के बैंकों की आस्ति की गुणवत्ता में 2010-11 में कमी देखी गई। 2010-11 के दौरान बैंकिंग क्षेत्र ने बकाया सकल अनर्जक ऋणों (मार्चान्त 2010 में) का लगभग 10 प्रतिशत बट्टे् खाते डाला, जिससे उनके सकल अनर्जक ऋणों की वृद्धि सीमित करने में मदद मिली।

बैंकों में प्रौद्योगिकीय विकास

5.35 हालिया वर्षों में, उन्नत प्रौद्योगिकी अपनाने के चलते बैंकिंग की रफ्तार और गुणवत्ता में परिवर्तन आया है। प्रौद्योगिकी विधियों को अपनाना किफायती तरीके से बैंकिंग नेटवर्क फैलाने में विशेष रूप से उपयोगी है। इन्हें नवीन बैंकिंग सेवाएं तैयार करने और मुहैया कराने के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है जिनसे कार्यक्षमता बढ़ती है और वित्तीय मध्यस्थता की लागत कम करने में मदद मिलती है। तद्नुसार, भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों को उपलब्ध नवीनतम प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता रहा है ताकि वे किफायती तरीके से अपना कारोबार बढ़ा सकें और संचालित कर सकें।

5.36 कम्प्यूटरीकरण के साथ-साथ कोर बैंकिंग पद्धति का अपनाया जाना बैंकिंग सेवाओं की कारगरता बेहतर करने में एक बड़ा कदम रहा है। इस समय, सरकारी क्षेत्र के बैंकों की लगभग 98 प्रतिशत शाखाएं पूरी तरह कम्प्यूटरीकृत हैं, जिनमें से लगभग 90 प्रतिशत शाखाओं में कोर बैंकिग हो रही है।

5.37 ऑटोमेटेड टैलर मशीनों (एटीएम) की शुरूआत होने से ग्राहक बैंक की शाखा में गए बिना बैंकिंग सेवा प्राप्त करने में समर्थ हुए हैं। वर्ष 2010-11 में एटीएम की संख्या में पिछले वर्ष के मुकाबले 24 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। मार्चान्त 2011 में कुल एटीएम में 65 प्रतिशत से अधिक एटीएम सरकारी क्षेत्र के बैंकों

के हैं। वर्ष 2010-11 के दौरान, डेबिट कार्डों की संख्या में पिछले साल की तुलना में 25 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है। एटीएम के मामले में देखे गए रुख के अनुरूप सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा मार्चान्त 2011 में कुल डेबिट कार्डों के लगभग तीन चौथाई कार्ड जारी किए गए थे।

भारत में भुगतान प्रणाली में सुधार

5.38 भारत में भुगतान प्रणाली संरचना अन्तरराष्ट्रीय बेंचमार्कों और मार्गदर्शी सिद्धान्तों पर आधारित है। भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 में भारत में भुगतान एवं निपटान सेवाओं के लिए व्यापक विधायी ढांचे का प्रावधान किया गया है और इसमें भुगतान प्रणाली के संचालकों, भुगतान एवं निपटान के जमा-घटा का प्राधिकरण और निश्चयात्मकता के विषय शामिल हैं। जहां तक बड़े मूल्य और देशभर की भुगतान एवं निपटान प्रणालियों का संबंध है, सुरक्षित, सुदृढ़, किफायती और विस्तृत विवरण नेटवर्क से जुड़े भुगतान प्रणाली के उद्देश्य पूरे किए जा रहे हैं। सुहाना सपना तो यह है कि हमारी नकदी प्रधान अर्थव्यवस्था इलैक्ट्रानिक मोड में ही मुख्यतया नकदी-रहित लेनदेन करके नकदी-रहित प्रधान अर्थव्यवस्था का रूप ले ले जो कि अन्तरराष्ट्रीय पद्धति है। मौजूदा भुगतान प्रणाली की निरंतर समीक्षा की जा रही है ताकि भुगतान प्रणालियों के व्यवस्थित विकास के लिए कार्य योजना का सुझाव दिया जा सके।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) को पूंजीगत सहायता

5.39 चूंकि पूंजी, ऋण आस्तियां सृजित करने के लिए बैंक की क्षमता का मुख्य पैमाना हैं और तुलन-पत्र के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए भारत सरकार पीएसबी में नियमित रूप से अतिरिक्त पूंजी-निवेश कर रही है ताकि उनका विकास किया जा सके और उन्हें वित्तीय दृष्टि से सुदृढ़ और लाभकर बनाए रखा जा सके। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है कि अर्थव्यवस्था की ऋण संबंधी बढ़ती ज़रूरतों को सही ढंग से पूरा किया जा सके। आयोजना के अंतर्गत, सरकारी क्षेत्र के बैंकों में पूंजी के अंतर्वेशन के लिए संशोधित अनुमान 2011-12 में 12,000 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है ताकि वे 31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार 8 प्रतिशत पर न्यूनतम टियर I सीआरएआर रख सकें तथा साथ ही पीएसबी में भारत सरकार की शेयरधारिता को बढ़ाकर 58 प्रतिशत किया जा सके। वर्ष 2012-13 के लिए भी, सरकार सभी पीएसबी का पर्याप्त पूंजीकरण करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि अर्थव्यवस्था के विकास की रफ्तार बनाई रखी जा सके। इसके अलावा, सरकार ने वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है जो अगले दस वर्षों में विभिन्न पीएसबी के पूंजीकरण की ज़रूरत का आकलन पीएसबी द्वारा झेली जा रही उन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए करेगी जो वे बाज़ेल III मापदंड के आसन्न कार्यान्वयन और तेज़ी से विकसित होती अर्थव्यवस्था की ऋण संबंधी ज़रूरतों के कारण झेल रही हैं; और पीएसबी के पूंजीकरण के लिए ज़रूरी संसाधन जुटाने के लिए विभिन्न विकल्पों की खोज तथा पूंजीकरण के विभिन्न सुझाए गए/पसंदीदा तरीकों का विश्लेषण करेगी। समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश कर दी है जो अब विचाराधीन है।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में कार्यदक्षता बढ़ाने के लिए उपाय

5.40 सरकार पीएसबी के साथ सहमति-ज्ञापनों पर हस्ताक्षर कर रही है जिनके अनुसार पूंजी का अंतर्वेशन उत्पादकता, जिनमें आस्तियों पर प्रतिफल, प्रति कर्मचारी निवल लाभ तथा लागत आय अनुपात शामिल है, जैसे विभिन्न प्रमुख मापदंडों के अनुसार, पीएसबी द्वारा लक्ष्य हासिल किए जाने से जुड़ा होगा। 2011-12 से 2014-15 तक की चार वर्ष की अवधि से संबंधित ये सहमति-ज्ञापन एसबीआई के सहयोगी बैंकों को छोड़कर सभी पीएसबी के साथ तय किए जा चुके हैं। एसबीआई इन्ही मापदंडों पर अपने सहयोगी बैंकों के साथ सहमति ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करेगा। सरकार ने निष्पादन संबंधी विभिन्न मापदंडों पर पीएसबी के निष्पादन को मॉनीटर करने के लिए वार्षिक लक्ष्यों का आशय विवरण (एसओआई) का तंत्र स्थापित किया है। कार्यदक्षता के मापदंडों पर अधिक ध्यान देने के लिए और पीएसबी की आस्तियों की गुणवत्ता की अधिक यथार्थमूलक स्थिति जानने के लिए, एसओआई मापदंडों को 2011-12 के दौरान संशोधित किया गया है।

वित्तीय समावेशन

5.41 वित्तीय समावेशन का उद्देश्य देश की उस आबादी को वित्तीय सेवाएं प्रदान करना है जो अब तक इनसे वंचित रही है, ताकि उनके विकास के द्वार खोले जा सकें। इसके अलावा, इसके ज़रिए विशेष रूप से गरीबों को वित्त सुविधा मुहैया कराकर समावेशी विकास की दिशा में बढ़ा जा सकता है। भारत सरकार वित्तीय समावेशन के काम में पूरे जोश से लगी है जो चार समूहों में प्रमुख दखल-कार्रवाई के रूप में है अर्थात् बैंकिंग अवसंरचना में विस्तार करना, उपयुक्त वित्तीय उत्पादों की पेशकश करना, प्रौद्योगिकी का विस्तृत और गहन उपयोग तथा पैरवी करना एवं हितधारक की भागीदारी सुनिश्चित करना।

5.42 कारोबार सुविधाकर्ताओं (बीसी/कारोबार सुविधाकर्ता एजेंटों/बैंक शाखाओं के ज़रिए मार्च 2012 तक बैंकिंग सुविधाएं देने के लिए बैंकों द्वारा पहचानी गई 2000 से अधिक की आबादी वाली लगभग 73,000 बस्तियों में से, दिसंबर 2011 तक 55,000 गांवों को बैंकिंग सुविधाएं दी जा चुकी हैं। 31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार, सरकार के कड़े प्रयासों से देश में बैंक सुविधा से वंचित 81 ब्लाकों में से, अप्रैल 2011 से नवंबर 2011 तक 39 ब्लाकों को बैंकिंग सुविधाएं दी गई हैं। सरकार ने बैंकों को और निदेश दिया है कि मार्च 2012 तक बैंक सुविधा से वंचित सभी ब्लाकों में बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराई जाएं।

5.43 सरकार द्वारा बैंकों को वित्तीय समावेशन संबंधी विस्तृत कार्यनीति और दिशानिर्देश 21 अक्तूबर 2011 को जारी किए गए हैं जिनमें अन्य बातों के अलावा, इन पर बल दिया गया है: (i) 5 किमी के दायरे में बैंक की एक शाखा मुहैया कराने के उद्देश्य से अधिकाधिक पक्की शाखाएं स्थापित करना; (ii) बैंकिंग की सुविधा से वंचित जिलों में 5000 अथवा इससे अधिक आबादी वाले बसावटों और अन्य जिलों में 10,000 अथवा इससे अधिक आबादी वाली सभी बसावटों में सितम्बर 2012 तक बैंक की शाखा खोलना; (iii) 2 किमी के दायरे में एक कारोबार सुविधाकर्ता मुहैया कराना; (iv) 10 छोटे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 1000 या इससे अधिक जनसंख्या वाले गांवों को सितम्बर, 2012 तक शामिल करना; (v) बैंक शाखा और बीसी आदि में सेवा क्षेत्र पहुंच के तहत क्षेत्र के आवंटन हेतु ग्राम पंचायतों पर इकाई के तौर पर विचार करना।

बॉक्स 5.4 : वित्तीय समावेशन के संबंध में मेवात पर प्रायोगिक परियोजना

मेवात जिले में वित्तीय समावेशन (एफआई) संबंधी एक प्रायोगिक परियोजना सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों और इस जिले में कार्यरत गुड़गांव ग्रामीण बैंक द्वारा भी चलाई गई थी। सभी 95 एफआई गांवों में पक्की शाखा अथवा कारोबार सुविधाकर्ता के माध्यम से अब बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध हैं। विभिन्न बैंकों द्वारा 77 अति छोटी शाखाएं स्थापित की जा रही हैं। बैंक के सभी कर्मचारियों को ई-भुगतान संबंधी प्रशिक्षण दिया गया था। भुगतान में चूक न करने वाले सभी पात्र किसानों को केसीसी और गैर-किसानों को जीसीसी कार्ड जारी करने का अभियान चलाया गया था। सामुदायिक रेडियो पर स्थानीय मेवाती भाषा में वित्तीय समावेशन संबंधी संदेश देने, प्रमुख स्थलों पर संदेश फलक लगाने, किसान गोष्ठियों का आयोजन करने और प्रगतिशील किसानों को किसान क्लब आदि स्थापित करने के लिए इकट्ठा करके व्यापक प्रचार-प्रसार और वित्तीय शिक्षा संबंधी उपाय किए गए थे। विभिन्न बैंकों के कारोबार सुविधाकर्ताओं के बीच अंतर प्रचालन की संभावना की कल्पना को भी साकार किया गया था। सिंडिकेट बैंक ने प्रतिवर्ष 32 रूपये के सांकेतिक प्रीमियम पर 25,000 रुपये का लघु बीमा कवर मुहैया कराने के लिए एसबीआई के साथ गठजोड़ किया है। सौर गृह प्रकाश व्यवस्था का प्रचार किया गया था और स्थापित सौर गृह प्रकाश व्यवस्था हेतु 1500 ऋण दिए गए हैं।

5.44 चल रही 32 स्कीमों, जिनकी वित्त व्यवस्था सरकार द्वारा की जाती है, के तहत बैंकों को भी सलाह दी गई है कि सब्सिडियां इलेक्ट्रानिक बेनिफिट ट्रांसफर (ईबीटी) के जरिए अंतरित की जाएं, ताकि लाभ सीधे ही लाभार्थियों के खाते में जमा हो सके। बैंकों से यह भी सुनिश्चित करना अपेक्षित है कि वार्षिक शाखा विस्तार योजना (एबीईपी) में शाखाओं का 25 प्रतिशत बैंक सुविधा से वंचित टीयर 5 और टीयर 6 केंद्रों में (9,999 जनसंख्या तक) होना चाहिए।

गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं (एनबीएफआई)

वित्तीय संस्थाएं (एफआई)

5.45 मार्चान्त 2011 में, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के रूप में चार संस्थाओं नामश: भारतीय आयात निर्यात बैंक (एक्जिम बैंक), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को विनियमित किया गया था। जैसाकि आरबीआई द्वारा निर्धारित किया गया है, किसी वित्तीय संस्था द्वारा किसी भी समय पर जुटाए गए कुल संसाधनों

सारणी 5.12 : वित्तीय संस्थाओं द्वारा जुटाए गए संसाधन

(₹ करोड़)

वित्तीय संस्थाएं	जुटाए गए कुल संसाधन									
	दीर्घावधिक		अल्पावधिक		विदेशी मुद्रा		जोड़		कुल बकाया (मार्चान्त की स्थिति के अनुसार)	
	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2010	2011
एक्ज़िम बैंक	8150	11132	5052	1538	5193	11456	18395	24126	40509	47192
नाबार्ड	16	9741	12330	15882	-	48	12346	25671	24922	34034
एनएचबी	7518	7537	10306	3380	-	-	17824	10917	10598	22765
सिडबी	13253	11744	11500	5958	987	1700	25740	19402	30186	39269
जोड़	28937	40154	39188	26758	6180	13204	74305	80116	106215	143260

स्रोत : संबद्ध विदेशी संस्थाएं

टिप्पणी : शून्य/नगण्य

दीर्घावधिक रुपया संसाधनों में बांडों और डिबेंचरों के जरिए लिए गए उधार शामिल हैं; और अल्पावधिक संसाधनों में वाणिज्यिक पत्र (सीपी), सावधि जमाराशियों, जमाराशियों के सूचकांकित प्रमाणपत्र (आईसीडी), जमा प्रमाणपत्र (सीडी) और सावधि धन से लिए गए उधार शामिल हैं। विदेशी मुद्रा संसाधनों में मुख्यत: अंतरराष्ट्रीय बाजार के बांड और उधार शामिल हैं।

का बकाया जिसमें 'अम्ब्रेला लिमिट' के तहत जुटाई गई निधियां हैं, इसे नवीनतम लेखा परीक्षित तुलन पत्र के अनुसार उनके स्वामित्वाधीन निवल निधियों के 10 गुना से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि एनएचबी और एक्जिम बैंक द्वारा व्यक्त की गई कठिनाइयों को देखते हुए, एक वर्ष के लिए उनकी कुल उधार सीमा बढ़ाकर उनकी स्वामित्वाधीन निवल निधियों (एनओएफ) का 11 गुना कर दी गई है। (एनएचबी के लिए 30 सितम्बर, 2012 और एक्जिम बैंक हेतु 31 मार्च, 2012, जो समीक्षा के अध्यधीन है)।

5.46 वर्ष 2010-11 के दौरान वित्तीय संस्थाओं द्वारा जुटाए गए संसाधन पिछले वर्ष के दौरान जुटाए गए संसाधनों से काफी अधिक थे। 2010-11 के दौरान जुटाए गए दीर्घावधिक संसाधनों और विदेशी मुद्रा संसाधनों में जहां तीव्र वृद्धि देखी गई, वहीं जुटाए गए अल्पावधिक संसाधनों में काफी गिरावट आयी। नाबार्ड ने सबसे अधिक संसाधन राशि जुटाई, इसके बाद एक्जिम बैंक और सिडबी का स्थान आता है (सारणी 5.12)।

सारणी 5.13 : वित्तीय संस्थाओं के स्त्रोतों का पैटर्न और निधियों का परिनियोजन*

(राशि करोड़ ₹ में)

मद	2009-10	2010-11	2010-11 में प्रतिशत परिवर्तन
क) निधियों के स्रोत (i+ii+iii)	**302610** (100.0)	**297784** (100.0)	**-1.6**
(i) आंतरिक	156733 (51.8)	163197 (54.8)	4.1
(ii) बाह्य	126813 (41.9)	119072 (40.0)	-6.1
(iii) अन्य@	19065 (6.3)	15515 (5.2)	-18.6
ख) निधियों का परिनियोजन (i+ii+iii)	**302610** (100.0)	**297784** (100.0)	**-1.6**
(i) नया परिनियोजन	171922 (56.8)	174674 (58.7)	1.6
(ii) पिछले उधारों का पुनर्भुगतान	115015 (38.0)	83971 (28.2)	-27
(iii) अन्य परिनियोजन	15673 (5.2)	39139 (13.1)	149.7
जिनमें से ब्याज अदायगियां	16561 (5.5)	14227 (4.8)	-14.1

स्रोतः संबंधित एफआई
टिप्पणी : * एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी
@ इसमें बैंकों के पास नकदी तथा शेष और भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य बैंकों के पास शेष शामिल हैं। कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल राशि का प्रतिशत है।

5.47 वर्ष 2010-11 के दौरान वित्तीय संस्थाओं की निधियों के कुल स्रोत/अभिनियोजन में 1.6 प्रतिशत की थोड़ी सी गिरावट हुई और यह 2,97,784 करोड़ रुपये रह गए। निधियों का एक बड़ा हिस्सा आंतरिक रूप से जुटाया गया (54.8 प्रतिशत), जिसके बाद विदेशी स्रोतों (40.0 प्रतिशत) और अन्य स्रोतों (5.2 प्रतिशत) का स्थान है। जुटाई गई निधियों का अधिकांश हिस्सा नए अभिनियोजन के लिए इस्तेमाल किया गया था (58.7 प्रतिशत), जिसके बाद पिछली उधारियों की अदायगियों (28.2 प्रतिशत) का स्थान रहा। अन्य अभिनियोजन जिनमें ब्याज अदायगियां शामिल हैं, वित्तीय संस्थाओं की निधियों का अपेक्षाकृत छोटा हिस्सा हैं (सारणी 5.13)।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी)

5.48 एनबीएफसी समग्र वित्तीय प्रणाली की 12.3 प्रतिशत परिसंपत्तियों के लिए जिम्मेदार है। इस आधार पर कि क्या एनबीएफसी सार्वजनिक जमाराशि स्वीकार करती है या नहीं, इनकी दो स्थूल श्रेणियां हैं, नामतः जमाराशि लेने वाली एनबीएफसी (एनबीएफसी-डी) और जमाराशि न लेने वाली एनबीएफसी (एनबीएफसी-एनडी)। भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पंजीकृत एनबीएफसी की कुल संख्या, जिसमें एनबीएफसी-डी और एनबीएफसी-एनडी शामिल हैं, जून 2010 के अंत में 12630 से घटकर जून 2011 के अंत में 12,409 रह गई। अनेक एनबीएफसी-डी के जमाराशि लेने वाले कार्यकलाप को छोड़ने के कारण इसी अवधि के दौरान एनबीएफसी-डी की संख्या 308 से घटकर 297 रह गई, जबकि जमाराशि न लेने वाली व्यवस्थागत तौर पर महत्वपूर्ण एनबीएफसी (100 करोड़ रुपए और उससे अधिक के परिसंपत्ति मूल्य वाले एनबीएफसी-एनडी-एसआई) की संख्या इसी अवधि के दौरान 260 से बढ़कर 330 हो गई। एनबीएफसी-डी श्रेणी के अंतर्गत, दो अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियां (आरएनबीसी) हैं। (सारणी 5.14)।

सारणी 5.14 : भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पंजीकृत एनबीएफसी की संख्या

जून-अंत	पंजीकृत एनबीएफसी की संख्या	एनबी एफसी-डी की संख्या	एनबीएफसी एनडी-एसआई की संख्या
2005	13261	507	-
2006	13014	428	149
2007	12968	401	173
2008	12809	364	189
2009	12740	336	234
2010	12630	308	260
2011	12409	297	330

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

5.49 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमाओं में रिपोर्टिंग एनबीएफसी (आरएनबीसी सहित) के जमाओं का अनुपात मुख्यतः आरएनबीसी की जमाराशियों में आयी गिरावट के कारण पिछले वर्ष में 0.36 प्रतिशत से घटकर 31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार 0.21 प्रतिशत रह गया।

5.50 एनबीएफसी-डी (जिनमें आरएनबीसी शामिल हैं) की कुल परिसंपत्तियां पूर्ववर्ती वर्ष के 1,12,131 करोड़ रुपये से बढ़कर 31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार 1,16,897 करोड़ रुपए हो गई। एनबीएफसी-डी और आरएनबीसी द्वारा मिलाकर धारित सार्वजनिक जमाराशियों में 31.1 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई जो पिछले वर्ष में 17,352 करोड़ रुपए से गिरकर 31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार 11,964 करोड़ रुपए रह गई। स्वामित्वाधीन निवल निधियां (एनओएफ) ने मार्चान्त 2011 में 9.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाई तथा इनकी राशि 17,975 करोड़ पर रही।

5.51 एनबीएफसी-डी (आरएनबीसी छोड़कर) के समेकित तुलन पत्र में मार्चान्त 2011 में 11.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई (पिछले वर्ष में 22.2 प्रतिशत)। उधार, जो एनबीएफसी-डी के लिए निधियों का मुख्य स्रोत हैं, में इस वर्ष के दौरान 9.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि जनता की जमाराशियों में 43.5 प्रतिशत तक तेजी से वृद्धि हुई जो तीन एनबीएफसी-डी की जनता की जमाराशियों में हुई वृद्धि के कारण हुआ। परिसम्पत्तियों के पक्ष पर मार्चान्त 2011 में ऋणों और अग्रिमों में 9.5 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई, जबकि निवेशों में 14.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। (मुख्यतः एसएलआर निवेशों में वृद्धि के कारण)।

5.52 मार्चान्त 2011 में वित्त कंपनियों (एएफसी) का एनबीएफसी-डी में (आरएनबीसी को छोड़कर) कुल आस्तियों/देनदारियों में सबसे बड़ा हिस्सा (70.2 प्रतिशत) था, जबकि ऋण कंपनियों का हिस्सा 29.8 प्रतिशत था। एएफसी की परिसम्पतियों/देनदारियों में वृद्धि का मुख्य कारण एनबीएफसी का पुनर्वर्गीकरण था जो दिसम्बर 2006 में शुरु हुआ। सभी एनबीएफसी-डी द्वारा धारित कुल जमाराशियों में से, आस्ति वित्त कंपनियों के पास 89.3 प्रतिशत का सबसे बड़ा हिस्सा था, जिसके बहुत पीछे ऋण कंपनियां का स्थान था, जिनका हिस्सा 10.7 प्रतिशत था।

5.53 जोखिम-भारित परिसंपत्तियों के प्रति पूंजी-अनुपात (सीआरएआर) के मानकों को 1998 में एनबीएफसी-डी पर प्रयोज्य किया गया था, जिनके द्वारा प्रत्येक एनबीएफसी-डी से यह अपेक्षित है कि वे टियर I और टियर II पूंजी वाली न्यूनतम पूंजी को अपनी सकल जोखिम-भारित परिसंपत्तियों के कम से कम 12 प्रतिशत (31 मार्च 2012 से 15 प्रतिशत) पर रखें। 31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार पिछले वर्ष के 275 रिपोर्टिंग एनबीएफसी-डी में से 272 की तुलना में, 204 रिपोर्टिंग एनबीएफसी में से 202 का सीआरएआर 12 प्रतिशत से अधिक था। एनबीएफसी क्षेत्र पिछले कुछ वर्षों में एक मजबूत प्रक्रिया से गुजर रहा है, जहां कमजोर एनबीएफसी अधिक मज़बूत क्षेत्र के लिए मार्ग प्रशस्त करते हुए क्रमिक रूप से निकलते जा रहे हैं।

एनबीएफसी-एनडी-एसआई की रूपरेखा

5.54 एनबीएफसी-एनडी-एसआई क्षेत्र के तुलनपत्र का आकार (31 मार्च 2010 को 5,88,806 करोड़ रूपये की तुलना में) 24.0 प्रतिशत बढ़कर 31 मार्च 2011 को 7,30,366 हो गया। एनबीएफसी-एनडी-एसआई के तुलन पत्र के आकार में इस महत्वपूर्ण वृद्धि का श्रेय स्वामित्वाधीन निधियों, डिबेंचरों और बैंक उधारों, में हुई तीव्र वृद्धि को जाता है। स्वामित्वाधीन निधियों (जो कुल देनदारियों का 25.4 प्रतिशत हैं) में 2010-11 के दौरान 13.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस क्षेत्र के द्वारा कुल उधार (प्रतिभूत और अप्रतिभूत) 29.9 प्रतिशत बढ़कर 5,00,938 करोड़ रुपए हो गए और ये 31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार कुल देनदारियों की 68.6 प्रतिशत थे। जून, 2011 को समाप्त हुई अवधि के दौरान, कुल उधारों में 4.7 प्रतिशत की और वृद्धि होने से ये 5,24,823 करोड़ रुपए हो गए।

5.55 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष में एनबीएफसी-एनडी-एसआई द्वारा निधियों के परिनियोजन का पैटर्न मोटे तौर पर पिछले वर्ष के दौरान परिलक्षित पैटर्न के अनुरूप ही रहा। मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के दौरान प्रतिभूत ऋणों का सबसे बड़ा हिस्सा (कुल परिसंपत्तियों का 45.5 प्रतिशत) बना रहा जिसके बाद अप्रतिभूत ऋण (17.2 प्रतिशत), किराया खरीद परिसंपत्तियां (6.8 प्रतिशत), निवेश (18.6 प्रतिशत) नकद और बैंक शेष (4.1 प्रतिशत), निवेश (18.6 प्रतिशत), नकद और बैंक शेष (4.1 प्रतिशत), और अन्य परिसंपत्तियां (7.7 प्रतिशत) के स्थान पर रहे।

5.56 एनबीएफसी-एनडी-एसआई क्षेत्र के वित्तीय निष्पादन में सुधार हुआ जैसाकि (पिछले वर्ष में 12,231 करोड़ रुपये की तुलना में) 2010-11 के दौरान निवल लाभ में 15,619 करोड़ रुपए की वृद्धि में प्रतिबिंबित होता है। 31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार आरओए (कुल परिसंपत्तियां के प्रतिशत के रूप में निवल लाभ) 2.1 प्रतिशत रहा है।

5.57 एनबीएफसी-एनडी-एसआई क्षेत्र के सकल और निवल एनपीए अनुपातों में मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान इस क्षेत्र की परिसम्पत्तियों की गुणवत्ता में समग्र सुधार दर्शाते हुए सुधार देखा गया। मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष में इस क्षेत्र का सकल एनपीए अनुपात 1.8 प्रतिशत रहा (पिछले वर्ष में यह 2.8 प्रतिशत था) जबकि निवल एनपीए अनुपात 0.7 प्रतिशत (पिछले वर्ष में 1.2 प्रतिशत) रहा।

5.58 सीआरएआर मानक अप्रैल 2007 से एनबीएफसी-एनडी-एसआई पर प्रयोज्य किए गए थे। मौजूदा निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक एनबीएफसी-एनडी-एस आई से यह अपेक्षित है कि वे टियर I और टियर II पूंजी वाली न्यूनतम पूंजी रखें जो उनकी सकल जोखिम भारित परिसम्पतियों का कम से कम 15 प्रतिशत हो। मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार, कुछ कम्पनियों को छोड़कर, अधिकतर रिपोर्टिंग कम्पनियों ने 15 प्रतिशत सीआरएआर की निर्धारित न्यूनतम सीमा को कायम रखा।

प्रमुख नीतिगत पहलें

5.59 एनबीएफसी के विनियामक और पर्यवेक्षी ढांचे ने जमाराशियां न लेने वाली व्यवस्थागत रूप से महत्वपूर्ण कंपनियों (एनबीएफसी-एनडी-एसआई) पर विशेष ध्यान के साथ विवेकसम्मत विनियमों पर ध्यान देना जारी रखा। कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम निम्नानुसार है:-

(i) आरबीआई ने अगस्त 2010 में पहले प्रमुख निवेश कम्पनियों (सीआईसी) के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए थे, जहां सीआईसी को परिभाषित किया गया था और यह सुझाव दिया गया था कि व्यवस्थागत रुप से महत्वपूर्ण सीआईसी (सीआईसी-एनडी-एसआई) अर्थात 100 करोड़ या उससे ऊपर के परिसम्पत्ति आकार वाली सीआईसी से अपेक्षित है कि वे आरबीआई के साथ पंजीकृत हो जाए। बाद में ये दिशा-निर्देश 5 जनवरी 2011 को मामूली संशोधनों के साथ अधिसूचना के रूप में जारी किए गए।

(ii) प्रति चक्रीयता के हित में और यह सुनिश्चित करने के लिए कि एनबीएफसी उन्हें आर्थिक मंदी के प्रभाव से बचाने के लिए वित्तीय प्रतिरोधक व्यवस्था सृजित करे, एनबीएफसी के लिए बकाया मानक परिसम्पत्तियों के 0.25 प्रतिशत पर मानक परिसम्पत्ति की व्यवस्था शुरू की गई।

(iii) जमाराशियां न लेने वाली व्यवस्थागत रूप से महत्वपूर्ण कम्पनियों के साथ जमाराशियां लेने वाली कम्पनियों (एनबीएफसी) के न्यूनतम पूंजी अनुपात को मिलाने के लिए सभी जमाराशियां लेने वाली एनबीएफसी को सलाह दी गई थी कि वे 31 मार्च 2012 से, टियर I और टियर II पूंजी वाले न्यूनतम पूंजी अनुपात को तुलन पत्र पर अपनी सकल जोखिम भारित परिसंपत्तियों के तथा तुलन-पत्र से इतर मदों के जोखिम समायोजित मूल्य के 15 प्रतिशत पर रखें।

(iv) यह स्पष्ट किया गया था कि ऋण सुविधा का लाभ उठाने के लिए शब्द 'अवसंरचना ऋण' में अब अवसंरचना सुविधा के रूप में ''टेलीकॉम टावर'' भी शामिल होंगे। इसके अलावा, एनबीएफसी को यह भी सलाह दी गई थी कि आरबीआई द्वारा अनुमोदित क्रेडिट रेटिंग एजेन्सियां ही अवसंरचना वित्त कम्पनियों (आई एफ सी) की रेटिंग कर सकती हैं।

(v) एनबीएफसी द्वारा भागीदार फर्मों के साथ सम्बद्ध होने में जुड़े जोखिमों को ध्यान में रखते हुए, एनबीएफसी को किसी भागीदार फर्म में पूंजी का अंशदान करने अथवा भागीदार फर्मों में भागीदार होने पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया था। मौजूदा भागीदारियों के मामलों में, एनबीएफसी को भागीदार फर्मों से जल्द ही बाहर होने की सलाह दी गई है।

(vi) एनबीएफसी के बीमा व्यवसाय में प्रवेश संबंधी दिशा-निर्देशों में आंशिक संशोधन करते हुए, यह स्पष्ट किया गया था कि एक ही समूह में एक कंपनी से अधिक कंपनियां (चाहे वे वित्तीय कार्यकलाप कर रही हों अथवा नहीं) एनबीएफसी के रूप में बीमा कंपनी में भागीदारी चाहती हैं, तो उसी समूह में सभी कंपनियों का अंशदान बीमा संयुक्त उद्यम (जेवी) में एनबीएफसी के लिए निर्धारित 50 प्रतिशत की सीमा में रहेगा। इस सन्दर्भ में, उस समूह में कंपनी शब्दों अनुषंगी कंपनी-मूल कंपनी, संवर्धक कंपनी, संवर्धिती कंपनी, संबंधित पक्षकार और सामान्य ब्रांड इत्यादि को भी परिभाषित किया गया है।

(vii) एमएफआई क्षेत्र के मुद्दों और हित-चिन्ताओं का अध्ययन करने के लिए आरबीआई के केन्द्रीय मण्डल की एक उप-समिति (अध्यक्ष: श्री वाई एच मालेगाम) गठित की गई थी। यह घोषणा की गई थी कि बैंक ने समिति द्वारा अनुशंसित विनियमों के व्यापक ढांचे को स्वीकृत कर लिया था और एनबीएफसी की एक पृथक श्रेणी अर्थात गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-लघु वित्त संस्था (एनबीएफसी-एमएफआई) बनाने का निर्णय लिया गया था। परिणामस्वरूप, एनबीएफसी की सात श्रेणियां होंगी नामत: आस्ति वित्त कंपनी (एएफसी), निवेश कंपनी (आईसी), ऋण कंपनी (एलसी), अवसंरचना वित्त कंपनी (आईएफसी), प्रमुख निवेश कंपनी (सीआईसी), अवसंरचना ऋण निधि-गैर बैंकिंग वित्त कंपनी (आईडीएफ-एनबीएफसी) और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी लघु वित्त संस्था (एनबीएफसी-एमएफआई)। ऐसी कंपनियों को 2 दिसम्बर, 2011 को निदेश जारी कर दिए गए थे। एक एनबीएफसी-एमएफआई को जमाराशियां न स्वीकारने वाली एनबीएफसी के रूप में परिभाषित किया गया है (कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत लाइसेंस प्राप्त कंपनी को छोड़कर) जो इन शर्तों को पूरा करती है: (i) जिनकी 5 करोड़ रुपए की स्वामित्व वाली न्यूनतम निवल निधियां हों (देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में पंजीकृत एनबीएफसी-एमएफआई के लिए न्यूनतम स्वामित्व निवल निधि की अपेक्षा 2 करोड़ रु० होगी) (ii) इसकी कम से कम 85 प्रतिशत निवल परिसम्पत्तियां हों जो 'अर्हक परिसम्पत्तियों' के स्वरूप की होगी।

viii. एनबीएफसी-एमएफआई के लिए प्रविष्टि मापदण्ड, पूंजी की आवश्यकता और परिसम्पत्ति वर्गीकरण के विवेकशील मापदण्ड और प्रावधान संबंधी मापदण्ड निर्धारित किए गए हैं। एनबीएफसी-एमएफआई को ऋण के मूल्य निर्धारण के बारे में अर्थात अधिकतम 12 प्रतिशत की समग्र मार्जिन सीमा कायम करने की भी सलाह दी गई थी। ब्याज की लागत बकाया उधारों के पाक्षिक औसत शेष पर और ब्याज की आय अर्हक परिसम्पत्तियों के बकाया ऋण पोर्टफोलियो के पाक्षिक औसत शेष पर परिकलित की जाएगी। व्यष्टि ऋणों पर ब्याज प्रतिवर्ष 26 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा और यह कम होते शेष के आधार पर परिकलित किया जाएगा। प्रक्रियान्वयन शुल्क सकल ऋण राशि के 1 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। इस प्रक्रियान्वयन शुल्क को मार्जिन सीमा या ब्याज की सीमा में शामिल करने की जरूरत नहीं

बाक्स 5.5 : अवसंरचना ऋण निधियों (आईडीएफ) का गठन

अवसंरचना परियोजनाओं में निधियों के प्रवाह को सुसाध्य बनाने के लिए आईडीएफ के गठन के लिए 23 सितम्बर, 2011 की प्रेस विज्ञप्ति के जरिए व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इस आईडीएफ का न्यास या एक कंपनी के रूप में गठन किया जाएगा। न्यास आधारित आईडीएफ सामान्यत: एक म्यूचुअल फण्ड (एमएफ) होगा जबकि कंपनी आधारित आईडीएफ सामान्यत: एनबीएफसी होगा। एक आईडीएफ-एनबीएफसी न्यूनतम पांच वर्ष की परिपक्वतता वाले रुपये या डालर में मूल्य वर्गित बाण्ड जारी करके संसाधन जुटाएगी। ये निवेशक मुख्यत: घरेलू और अप-तटीय संस्थागत निवेशक होंगे जो खास तौर से बीमा और पेंशन निधियां होंगी जिनके पास दीर्घावधिक संसाधन रहेंगे। आईडीएफ-एमएफ भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा विनियमित किया जाएगा जबकि आईडीएफ-एनबीएफसी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किया जाएगा। आईडीएफ, जिन्हें म्यूचुअल फण्ड (एमएफ) और एनबीएफसी के रूप में निर्दिष्ट किया जाना है, के प्रयोजन के लिए एनबीएफसी के लिए विनियामक ढांचा निर्धारित करने के लिए 21 नवम्बर को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। ऐसे निकायों को ''अवसंरचना ऋण निधि-म्यूचुअल फण्ड (आईडीएफ-एमएफ) और अवसंरचना ऋण निधि-गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी (आईडीएफ-एनबीएफसी)'' के रूप में नामित किया जाएगा। सभी एनबीएफसी जिनमें बैंक के साथ पंजीकृत अवसंरचना वित्त कम्पनियां (आईएफसी) भी शामिल हैं, एमएफ के रूप में स्थापित होने के लिए आईडीएफ को प्रायोजित कर सकती हैं। तथापि, केवल आईएफसी ही आईडीएफ-एनबीएफसी को प्रायोजित कर सकती है।

आईडीएफ-एमएफ के प्रायोजक के रूप में एनबीएफसी के लिए पात्रता संबंधी मापदण्डों में ये शामिल हैं: न्यूनतम 300 करोड़ का एनओएफ; 15 प्रतिशत सीआरएआर; निवल एनपीए जो 3 प्रतिशत से कम हो; एनबीएफसी कम से कम पांच वर्षों से अस्तित्व में रही हो और एमएफ विनियमों में नए जोड़े गए अध्याय VI ख में सेबी द्वारा निर्धारित लाभों को छोड़कर पिछले तीन वर्षों से लाभ अर्जित कर रही हो।

केवल एनबीएफसी-आईएफसी ही आरबीआई के पूर्व अनुमोदन से और निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन आईडीएफ-एनबीएफसी को प्रायोजित कर सकती है: प्रायोजक आईएफसी को आईडीएफ-एनबीएफसी की इक्विटी में अधिकतम 49 प्रतिशत का अंशदान करने की अनुमति होगी जिसमें आईडीएफ-एनबीएफसी में निवेश के बाद, आईडीएफ-एनबीएफसी की इक्विटी में न्यूनतम 30 प्रतिशत की इक्विटी धारिता रखी जानी होगी; प्रायोजक एनबीएफसी-आईएफसी को आईएफसी के लिए निर्धारित न्यूनतम सीआरएआर और एनओएफ को बनाए रखना होगा। आईएफसी के लिए कोई भी पर्यवेक्षी सरोकार नहीं है। आईडीएफ को ऋण संकेन्द्रण मापदण्डों और जोखिम भारांशों में छूट दी गई है।

है। ऋण लेने की उचित प्रक्रिया और ब्याज की दरों में पारदर्शिता के लिए अनुदेश भी जारी किए गए।

ix. अनेकानेक ऋण लेने, ज़रूरत से अधिक उधार लेना और फर्जी उधारकर्ताओं पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। एनबीएफसी-एमएफआई को ऋण की वसूली के लिए दबाव न डालने वाले तरीको को अपनाने की सलाह दी गई है। इसके अलावा, कारपोरेट अभिशासन से संबंधित निदेश भी जारी किए गए हैं। एनबीएफसी-एमएफआई को अपने बैक-ऑफिस के संचालनों की समीक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रणालियों में आवश्यक निवेश करने की सलाह दी गई है ताकि बेहतर नियंत्रण किया जा सके, प्रक्रियाएं सहज हो सकें तथा लागत कम की जा सके।

x. एनबीएफसी द्वारा पहले संविदित तुलन-पत्र इतर मदों के लिए जोखिम भारांश वित्त वर्ष की शुरूआत 1 अप्रैल 2012 से प्रयोज्य होंगे। ऋण चूक की अदला-बदली सहित की गई सभी नई संविदाओं के लिए नए जोखिम भारांश 26 दिसंबर, 2011 से प्रयोज्य होंगे।

प्रतिभूतिकरण कम्पनियां/पुनर्निर्माण कंपनियां (एससी/आरसी):मुख्य नीतिगत परिवर्तन

5.60 वित्त मंत्री द्वारा बजट 2011-12 में की गई घोषणा के अनुसरण में, भारत सरकार ने केंद्रीय रजिस्ट्री की स्थापना अधिसूचित की। इसे स्थापित करने का उद्देश्य एक ही अचल सम्पत्ति पर विभिन्न बैंकों से अनेक ऋण लेने के मामले की धोखाधड़ी रोकना है। केंद्रीय प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति और पुनर्निर्माण रजिस्ट्री और भारत के सुरक्षा हित (सीईआरएसएआई) जो कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत लाइसेंस-प्राप्त सरकारी कम्पनी है, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सारफेसी अधिनियम) के प्रावधानों के तहत केंद्रीय रजिस्ट्री को चलाने और बनाए रखने के प्रयोजन से निगमित की गई है।

बॉक्स 5.6 : कारपोरेट बांडों के लिए ऋण चूक की अदला-बदली (सीडीएस)

कारपोरेट बांडों पर सीडीएस शुरू करने का उद्देश्य बाज़ार भागीदारों को कारगर तरीके से जोखिम का पुन:वितरण करके ऋण जोखिम का अंतरण करने एवं उसकी प्रबंध व्यवस्था करने के लिए एक साधन मुहैया कराना है। जोखिम प्रबन्धन के एक साधन के रूप में सीडीएस भागीदारों को ऋण संबंधी जोखिम कम करने और ऋण जोखिम लेने के लिए भी अवसर देता है, जो अन्यथा संभव न हो। चूंकि सीडीएस में जोखिम अन्तरण की सुविधा के साथ-साथ निवेश एवं उधार के अवसरों को बढ़ाने और लेन-देन लागत को कम करने जैसे लाभ प्राप्त हैं, ऐसा साधन कारपोरेट बांडों में निवेशकों के हित को बढ़ाएगा और भारत में कारपोरेट बांड बाज़ार के विकास के लिए लाभकर होगा।

कारपोरेट बांडों के लिए ऋण चूक की अदला-बदली संबंधी दिशानिर्देश भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 23 मई 2011 को जारी किए गए थे, जिनमें पात्र भागीदारों और अन्य अपेक्षाओं सहित व्यापक मानदंडों की रूपरेखा तैयार की गई थी। यह भी कहा गया था कि बाज़ार भागीदारों को उनके अपने विनियामकों द्वारा जारी सीडीएस के लिए पूंजी पर्याप्तता संबंधी दिशानिर्देशों का पालन करना होगा। तदनन्तर, ऐसे दिशानिर्देश जारी किए गए हैं जिनके अनुसार एनबीएफसी केवल प्रयोक्ताओं के रूप में सीडीएस बाज़ार में भागीदारी करेंगे। प्रयोक्ताओं के रूप में, उन्हें केवल स्वत: धारित कारपोरेट बांडों पर ऋण जोखिम से बचने के लिए ऋण संरक्षण खरीदने की अनुमति है। उन्हें संरक्षण बेचने की अनुमति नहीं है और इसलिए सीडीएस संविदाओं में अल्पकालिक तौर पर दाखिल होने की भी अनुमति नहीं है। तथापि, उन्हें अपनी खरीदी गई सीडीएस स्थिति से मूल प्रतिपक्ष के साथ वापस उसी स्थिति में जाकर अथवा विचाराधीन बांड के खरीदार के पक्ष में समनुदेशित करके हटने की अनुमति है।

सारणी 5.15 : प्राथमिक बाज़ार के जरिए संसाधन संग्रहण

(₹ करोड़)

विधि	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12#
1. ऋण	1500	2500	9451	4791
2. इक्विटी	2082	46736	48654	9683
जिसमें से आईपीओ	2082	24696	35559	5043
आईपीओ की संख्या	21	39	53	30
औसत आईपीओ आकार	99	633	671	168
3. निजी नियोजन	173281	212635	218785	188530
4. यूरो निर्गम (एडीआर/जीडीआर)	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
जोड़ (1+2+3+4)	176864	261871	276890	203005

स्रोत : सेबी तथा भारतीय रिजर्व बैंक (यूरो निर्गमों के लिए)
टिप्पणी : उ.न. का अर्थ है उपलब्ध नहीं। इक्विटी निर्गम में केवल सार्वजनिक निर्गम शामिल हैं।
30 नवम्बर 2011 की स्थिति के अनुसार। चालू वित्तीय आंकड़े अनंतिम हैं।

पूंजी बाज़ार

प्राथमिक बाज़ार

5.61 वित्त वर्ष 2011-12 (31 दिसंबर 2011 तक) के दौरान प्राथमिक बाज़ार के ज़रिए संसाधन जुटाने में वर्ष 2010-11 के मुकाबले तीव्र गिरावट देखी गई (सारणी 5.15)। 31 दिसंबर 2011 की स्थिति के अनुसार इक्विटी पब्लिक इश्युओं के माध्यम से जुटाई गई संचयी राशि 2010-11 के 48,654 करोड़ रूपये की तुलना में 9683 करोड़ रूपये थी। वर्ष 2011-12 (31 दिसंबर 2011 तक) के दौरान राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) पर 30 नई कम्पनियों (आरंभिक सार्वजनिक पेशकश-आईपीओ) को सूचीबद्ध किया गया जिनका मूल्य 5,043 करोड़ रूपये था जबकि 2010-11 में 35,559 करोड़ रूपये मूल्य की 53 कम्पनियां सूचीबद्ध की गई थीं। औसत आईपीओ आकार 2010-11 के 671 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2011-12 में 168 करोड़ रुपये रहा। इसके अलावा, ऋण निर्गम के ज़रिए 2010-11 में जुटाए गए 9451 करोड़ रूपये के मुकाबले इस वर्ष केवल 4791 करोड़ रुपये जुटाए गए। कापोरेट ऋण में निजी नियोजन के ज़रिए जुटाई गई पूंजी 2011-12 (अप्रैल-दिसंबर) में 1,88,530 करोड़ रूपये थी जबकि 2010-11 में यह 2,18,785 करोड़ रूपये रही थी।

म्यूचुअल फण्डों द्वारा संसाधन संग्रहण

5.62 वर्ष 2010-11 में, म्यूचुअल फंडों द्वारा जुटाए गए 49,406 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 2011-12 के दौरान (30 नवम्बर 2011 तक) म्यूचुअल फंडों ने बाज़ार से 1,00338 करोड़ रुपए जुटाए (सारणी 5.16)। प्रबंधनाधीन आस्तियों का बाज़ार मूल्य 31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार 6,65,282 करोड़ रुपए की तुलना में 30 नवम्बर 2011 की स्थिति के अनुसार 6,81,655 करोड़ रुपए था जो 2.5 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है।

द्वितीयक बाज़ार

5.63 31 दिसम्बर 2011 की स्थिति के अनुसार, भारतीय मूल सूचकांकों-बीएसई सेंसेक्स तथा निफ्टी-में 2010-11 के बंद मूल्य की तुलना में क्रमश: 20.4 प्रतिशत और 20.7 प्रतिशत की कमी हुई। निफ्टी जूनियर तथा बीएसई 500 में भी क्रमश: 22.6 प्रतिशत और 26.1 प्रतिशत की कमी हुई। (सारणी 5.17 और चित्र 5.3)।

5.64 2011-12 (31 दिसंबर 2011 तक) निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी, जूनियर तथा बीएसई 500 का मुक्त फ्लोट बाज़ार पूंजीकरण क्रमश: 14,05,066 करोड़ रुपए, 12,66,639 करोड़ रुपए, 2,47,531 करोड़ रुपए तथा 21,66,947 करोड़ रुपए था जो वित्त वर्ष 2010-11 की तुलना में क्रमश: 20.0 प्रतिशत, 18.6 प्रतिशत, 21.8 प्रतिशत तथा 22.0 प्रतिशत की कमी दर्शाता है।

सारणी 5.16 : म्यूचुअल फंडों द्वारा संसाधन संग्रहण (निवल) के रुझान

(₹ करोड)

क्षेत्र	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12#
1. भारतीय यूनिट ट्रस्ट	10677	-3659	15653	-16636	5323
2. सरकारी	9820	9380	12499	-13555	3035
3. निजी	133304	-34018	54928	-19215	91980
जोड़ (1+2+3)	153802	-28296	83080	-49406	100338

स्रोत: सेबी
टिप्पणी: #30 नवम्बर 2011 की स्थिति के अनुसार

चित्र 5.3 एन.एस.ई. तथा बी.एस.ई. सूचकांकों की घट–बढ़

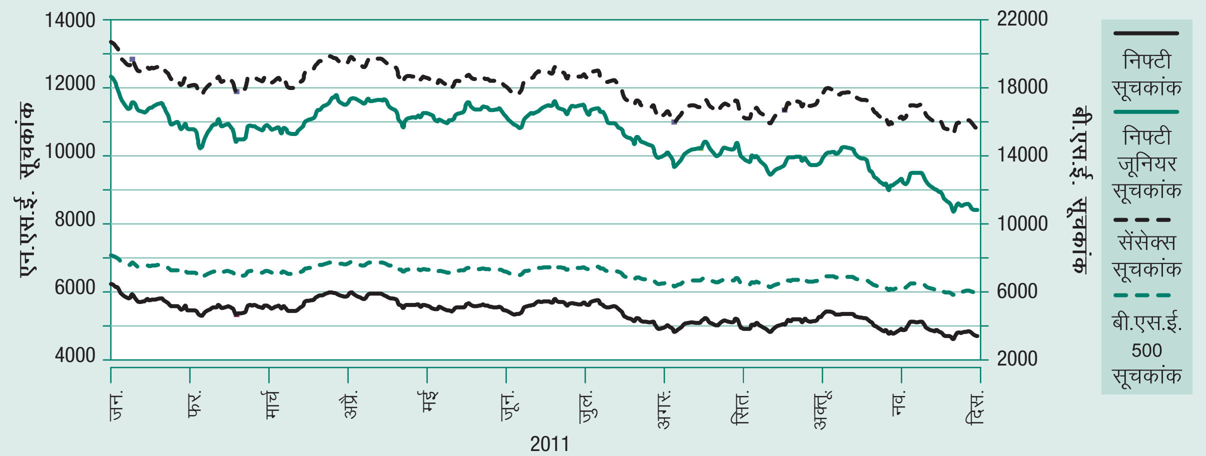

सारणी 5.17 : सूचकांक आय, अस्थिरता, बाज़ार पूंजीकरण तथा पी/ई अनुपात

सूचकांक	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12#
निफ्टी:					
आय (प्रतिशत)	23.9	-36.2	73.8	11.1	-20.7
बाजार पूंजीकरण (करोड़ ₹)	1240071	771483	1525162	1755468	1405066
दैनिक अस्थिरता*	2.0	2.6	1.9	1.1	1.3
पी/ई अनुपात	20.6	14.3	22.3	22.1	16.8
निफ्टी जूनियर:					
आय (प्रतिशत)	16.0	-45.6	148.4	4.7	-26.1
बाजार पूंजीकरण (करोड़ ₹)	202809	113523	292316	316529	247531
दैनिक अस्थिरता	2.4	2.8	2.0	1.2	1.1
पी/ई अनुपात	16.7	8.7	15.8	17.6	13.5
बीएसई सूचकांक:					
आय (प्रतिशत)	19.7	-37.9	80.5	9.9	-20.4
बाजार पूंजीकरण (करोड़ ₹)	1071940	695152	1328862	1555322	1266639
दैनिक अस्थिरता	1.9	2.8	1.9	1.1	1.3
पी/ई अनुपात	20.1	13.7	21.3	21.2	16.4
बीएसई 500:					
आय (प्रतिशत)	24.3	-42.8	96.4	6.5	-22.6
बाजार पूंजीकरण (करोड़ ₹)	1996839	1168850	2444151	2776847	2166947
दैनिक अस्थिरता	2.0	2.6	1.8	1.1	1.2
पी/ई अनुपात	20.0	13.7	20.4	19.2	16.2

स्रोत : बीएसई तथा एनएसई।

टिप्पणी : बाजार पूंजीकरण मुक्त फ्लोट आधार पर आकलित किया जाता है। पी/ई अनुपात मूल्य/अर्जन अनुपात हैं।

\# 31 दिसम्बर 2011 की स्थिति के अनुसार।

5.65 31 दिसंबर 2011 की स्थिति के अनुसार निफ्टी, सेन्सेक्स, निफ्टी जूनियर और बीएसई 500 का मूल्य-अर्जन (पी/ई) अनुपात क्रमश: 16.8 प्रतिशत, 16.4 प्रतिशत, 13.5 प्रतिशत, 16.2 प्रतिशत था जो 2010-11 की तुलना में क्रमश: 24.2 प्रतिशत, 23.4 प्रतिशत, 22.4 प्रतिशत और 15.9 प्रतिशत की गिरावट दर्शाता है।

5.66 पूंजी बाजार खंड में, 2011-12 के दौरान बीएसई का कुल कारोबार (31 दिसम्बर 2011 तक) 4,88,133 करोड़ रुपए था तथा एनएसई का कुल कारोबार 19,73,730 करोड़ रुपए था जबकि 2010-11 में यह कारोबार क्रमश: 11,05,027 करोड़ रुपए और 35,77,410 करोड़ रुपए था (सारणी 5.18)।

सारणी : 5.18 बाज़ार कारोबार					(करोड़ ₹)
बाज़ार	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12#
बीएसई					
नकदी	1578670	1100074	1378809	1105027	488133
इक्विटी व्युत्पाद	242308	12268	234	154	58173
एनएसई					
नकदी	3551038	2752023	4138024	3577410	1973730
इक्विटी व्युत्पाद	13090478	11010482	17663665	29248221	23715138

स्रोत : बीएसई तथा एनएसई।
टिप्पणी : #31 दिसम्बर, 2011 की स्थिति के अनुसार

इक्विटी व्युत्पाद

5.67 इक्विटी व्युत्पाद खंड में एनएसई ने वर्ष 2010-11 के दौरान 2,92,48,221 करोड़ रुपए की तुलना में 2011-12 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान 2,37,15,138 करोड़ रुपए का कुल कारोबार किया। बीएसई के इक्विटी व्युत्पाद खंड की तुलना में वर्ष 2011-12 में (अप्रैल-दिसंबर) 58,173 करोड़ रुपए है जबकि 2010-11 में यह 154 करोड़ रुपये था। सारणी 5.19 में भारतीय इक्विटी बाज़ारों के साप्ताहित प्रतिफलों का उतार-चढ़ाव दर्शाया गया है।

मुद्रा व्युत्पाद

5.68 वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान अब तक एनएसई में मुद्रा व्युत्पाद खंड में 2010-11 के 34,49,788 करोड़ रूपये के कुल कारोबार के मुकाबले 37,02,389 करोड़ रूपये का कुल कारोबार हुआ है। मल्टि-कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स-एसएक्स) के मुद्रा फ्यूचर्स खण्ड में कुल कारोबार 2010-11 के 41,94,017 करोड़ रूपये की तुलना में 2011-12 (अप्रैल-दिसंबर) 29,99,176 करोड़ रूपये रहा। यूनाइटेड स्टाक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड 20 सितंबर, 2010 को शुरू किया गया। यूनाइटेड स्टाक एक्सचेंज (यूएसई) में इसी अवधि में 14,69,293 करोड़ रूपये का कुल कारोबार देखा गया जबकि 2010-11 (नवंबर 2010-मार्च 2011) में 7,62,501 करोड़ रूपये का कारोबार हुआ (सारणी 5.20)।

ब्याज दर व्युत्पाद

5.69 एनएसई पर भारत सरकार की 91-दिवसीय राजकोषीय हुंडियों पर ब्याज दर भावी (आईआरएफ) संविदाओं में कारोबार की शुरूआत 4 जुलाई 2011 को की गई। 2011-12 (अप्रैल-दिसंबर)

सारणी 5.19 : भारतीय इक्विटी बाज़ार में साप्ताहिक आय की अस्थिरता				
सूचकांक	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12#
निफ्टी	5.5	3.8	2.5	3.1
निफ्टी जूनियर	6.6	4.5	2.7	2.7
सेंसेक्स	5.8	3.6	2.5	3.1
बीएसई 500	5.7	3.9	2.4	2.8

स्रोत : बीएसई तथा एनएसई।
टिप्पणी : *31 दिसम्बर 2011 की स्थिति के अनुसार

सारणी 5.21 : ब्याज दर फ्यूचर्स में व्याप्त रूझान			
वर्ष	2009-10	2010-11	2011-12#
संविदाओं की संख्या	160894	3348	215200
कारोबारी मूल्य (करोड़ ₹)	2975	62	3959
औसत दैनिक कारोबारी मूल्य (करोड़ ₹)	21	0	24.9

स्रोत : एनएसई
टिप्पणी: # 31 दिसंबर 2011 की स्थिति के अनुसार

सारणी 5.20 : मुद्रा व्युत्पाद में व्याप्त रूझान						
वर्ष	एनएसई		एमसीएक्स-एसएक्स		यूएसई	
	2010-11	2011-12#	2010-11	2011-12#	2010-11	2011-12#
संविदाओं की संख्या	749602075	782233920	903185639	626686064	167772367	309903126
कारोबारी मूल्य (करोड़ ₹)	3449788	3702389	4194017	2999176	762501	1469293
औसत दैनिक कारोबारी मूल्य (करोड़ ₹)	13855	20569	16843	16662	5733	8163

स्रोत : एनएसई, एमसीएक्स एसएक्स तथा यूएसई
टिप्पणी : *31 दिसम्बर 2011 की स्थिति के अनुसार

सारणी 5.22: एफआईआईआई के लेनदेन

लेन-देन	2009-10	2010-11	2011-12#
एफआईआईआई की संख्या (वास्तविक)	1635	1722	1767
उप-खातों की संख्या (वास्तविक)	5015	5686	6278
1. इक्विटी बाजार क्रियाकलाप (करोड़ ₹)			
सकल खरीद	554585	771565	442898
सकल बिक्री	602292	661444	443112
निवल	-47706	110121	-213
2. ऋण बाजार क्रियाकलाप (करोड़ ₹)			
सकल खरीद	59993	221034	221907
सकल बिक्री	58098	184717	191319
निवल	1895	36317	30590
3. कुल क्रियाकलाप (करोड़ ₹)			
सकल खरीद	846438	992599	664805
सकल बिक्री	703780	846161	634431
निवल	142658	146438	30376

स्रोत : एनएसई, एमसीएक्स एसएक्स और यूएसई
टिप्पणी : #31 दिसम्बर 2011 की स्थिति के अनुसार

के दौरान, एनएसई में 2010-11 के 62 करोड़ रूपये के मुकाबले 3,959 करोड़ रूपये का कुल कारोबार हुआ (सारणी 5.21)।

विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई)

5.70 पंजीकृत एफआईआईआई की संख्या 31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार 1722 से बढ़कर दिसम्बर अन्त 2011 की स्थिति के अनुसार 1767 हो गई। पंजीकृत उप-खातों की संख्या भी इसी अवधि के दौरान 5686 से बढ़कर 6278 हो गई। भारतीय इक्विटी बाजार में, एफआईआईआई ने 2010-11 में 1,10,121 करोड़ रुपए के निवेश की तुलना में 2011-12 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान 213 करोड़ रूपए आहरित किए। इसी अवधि में ऋण खंड में, एफआईआईआई ने वर्ष 2010-11 में 36,317 करोड़ रुपए की तुलना में 30,590 करोड़ रुपए निवेशित किए। वर्ष 2011-12 के दौरान (31 दिसंबर 2011 तक) एफआईआईआई द्वारा इक्विटी तथा ऋण में कुल निवेश वर्ष 2010-11 में 146,438 करोड़ रुपए की तुलना में 30,376 करोड़ रुपए था (सारणी 5.22)।

अंतरराष्ट्रीय तुलना

5.71 एशिया के चुनिन्दा सूचकांकों में, 2003-04 की तुलना में 2011-12 (अप्रैल-दिसंबर) में जकार्ता संयुक्त सूचकांक ने 419.5 प्रतिशत का अधिकतम संचयी प्रतिफल दर्ज किया जिसके बाद बीएसई सेन्सेक्स (176.4 प्रतिशत), एसएण्डपी सीएनएक्स निफ्टी इन्डेक्स (161.0 प्रतिशत), कोस्पी सूचकांक (107.4 प्रतिशत), कुआलालाम्पुर कॉम्प सूचकांक (69.7 प्रतिशत), हांगसंग इन्डेक्स (45.4 प्रतिशत), एसएसई कम्पोज़िट सूचकांक (26.3 प्रतिशत) और टीएसईसी भारित सूचकांक (8.4 प्रतिशत) का स्थान रहा। उभरते प्रमुख बाज़ारों और कीमत/अर्जन अनुपातों की प्रवृत्तियां क्रमशः सारणी 5.23 और 5.24 में दिखाई गई हैं।

बाज़ार के उतार चढ़ाव

5.72 5 नवंबर 2010 को एक घण्टे के विशेष मुहूर्त के दौरान जब सेन्सेक्स ने आज तक के सर्वाधिक स्तर 21004.96 और निफ्टी ने 6312.45 का आंकड़ा छू लिया, 30 दिसंबर 2011 की स्थिति के अनुसार बाज़ार ने उस स्तर से 26 प्रतिशत की गिरावट प्रदर्शित की। कैलण्डर वर्ष के दौरान ये सूचकांक 15454.92 (सेन्सेक्स के लिए -24.64 प्रतिशत) और 4624.3 (निफ्टी के लिए -24.62 प्रतिशत) पर बन्द हुए। वित्त वर्ष 2011-12 (30 दिसंबर 2011 तक) के दौरान यह गिरावट निफ्टी के मामले में 20.73 प्रतिशत और सेन्सेक्स के मामले में 20.52 प्रतिशत रही थी।

बाज़ार के उतार-चढ़ाव के कारण

5.73 देश में आने वाले एफआईआई प्रवाहों के सुस्त पड़ने के परिणामस्वरूप भारतीय बाज़ारों में गिरावट आई और विदेशी मुद्रा बाज़ार में रूपये का तीव्र मूल्य ह्रास हुआ, हालांकि यह मूल्य ह्रास अधिकांशतः संकटग्रस्त यूरोपीय और मुद्रास्फीतिग्रस्त उभरती बाज़ार अर्थव्यवस्थाओं के चलते विदेशी निवेशकों द्वारा ''सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन'' करने के कारण हुआ था। अर्थव्यवस्था की विकास दर में कमी आने से भी बाज़ार संवेग प्रभावित हुए हैं। विकास में कमी अनेक कारणों से आई हैं जिनमें वैश्विक माहौल में व्याप्त अनिश्चितता और मौद्रिक नीति को सख्त बनाने का अंतराल-प्रभाव शामिल है। भारत में मौद्रिक सख्ती किए जाने से स्टाक बाज़ारों में कुछ सुधार हुआ है, और यह अन्य उभरती बाज़ार अर्थव्यवस्थाओं में भी हुआ जब उनके अपने केंद्रीय बैंकों द्वारा सख्ती बरती गई।

5.74 वैश्विक तौर पर, यूरोपीय ऋण संकट के गहराने और एसएण्डपी द्वारा संयुक्त राज्य अमरीका की ऐतिहासिक दर्जावनति

सारणी 5.23 : चुनिंदा वैश्विक सूचकांकों के संचलन में संचयी परिवर्तन

सूचकांक	31 मार्च 2004 के स्तर की तुलना में संचयी परिवर्तन							
	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12#
बीएसई संसेक्स,	16.1	101.8	133.8	179.8	73.7	213.5	247.8	176.4
एसएण्डपी सी एण्ड एक्स निफ्टी	14.9	92.0	115.7	167.2	70.5	196.2	229.2	161.0
हांग संग	6.6	24.6	56.1	80.2	7.1	67.5	85.5	45.4
जकार्ता संयुक्त सूचकांक	46.8	79.8	148.9	232.7	94.9	277.5	400.0	419.5
निक्की 225,	-0.4	45.6	47.6	6.9	-30.8	-5.3	-16.7	-27.8
कोस्पी	9.7	54.4	65.0	93.5	37.0	92.3	139.3	107.4
क्वालालाम्पुर संयुक्त सूचकांक	-3.4	2.7	38.3	38.3	-3.2	46.4	71.3	69.7
टीएसईसी भारित सूचकांक	-7.9	1.4	20.9	31.4	-20.1	21.4	33.1	8.4
एसएसई संयुक्त सूचकांक	-32.2	-25.5	82.8	99.4	36.3	78.5	68.1	26.3

स्रोत : ब्लूमबर्ग
टिप्पणी : #31 दिसंबर 2011 की स्थिति के अनुसार।

सारणी 5.24 : चुनिंदा उभरते हुए बाजारों में पी/ई अनुपात

सूचकांक	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12#
कोस्पी	25.7	11.1	13.8	26.3
सेट	15.7	12.3	13.2	12.6
जकार्ता संयुक्त	20.1	16.6	13.8	26.3
क्वालालाम्पुर संयुक्त	15.0	18.9	15.8	16.0
टीएसईसी भारित	65.7	19.1	17.0	16.4
बीएसई संसेक्स	13.7	21.3	21.2	16.4
एसएंडपी सीएनएक्स निफ्टी	14.3	22.3	22.1	16.8

स्रोत: बीएसई, एनएसई और ब्लूमबर्ग
टिप्पणी # 31 दिसम्बर, 2011 की स्थिति के अनुसार

ने एक और मन्दी के आगम की आशंका पैदा कर दी। यूरो ज़ोन में फैली अव्यवस्था के कारण वैश्विक बाज़ारों में साल भर घट-बढ़ होती रही। जब तक यूरोप में व्याप्त संकट समाप्त नहीं हो जाता, भारत समेत विश्व भर के बाज़ारों में अस्थिरता बनी रहेगी। तथापि, विश्व के अन्य मुख्य सूचकांकों की तुलना में भारतीय अर्थव्यवस्था कम प्रभावित हुई है। इसके अलावा, कुछ निवेश बैंकों और वित्तीय फर्मों द्वारा दी गई रेटिंग से भारतीय बाज़ारों की समुत्थानशीलता जाहिर होती है।

प्रमुख नीतिगत पहलें

भारतीय पूंजी बाज़ारों तक पहुंच बढ़ाना

भारतीय इक्विटी बाजारों में क्यूएफआई द्वारा प्रत्यक्ष निवेश

5.75 क्यूएफआई को जनवरी 2012 में भारतीय इक्विटी बाजार में सीधे निवेश करने की अनुमति दी गई थी। ऐसा निवेशकों का वर्ग व्यापक करने, अधिक विदेशी निधियां आकर्षित करने, बाजार की अस्थिरता कम करने और भारतीय पूंजी बाजार को मजबूती देने के लिए किया गया था। क्यूएफआई में विदेशों में रहने वाले उन व्यक्तियों, समूहों अथवा संघों, को शामिल किया जाएगा जो वित्तीय कार्रवाई संबंधी कृतिक बल (एफएटीएफ) का अनुपालन कर रहे हैं और जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन (आईओएससीओ) के समझौता बहुपक्षीय ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। क्यूएफआई में एफआईआई/उप-खाते शामिल नहीं हैं। इससे पहले, केवल एफआईआई/उप खातों तथा अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) को भारतीय इक्विटी बाजार में प्रत्यक्ष निवेश करने की अनुमति दी गई थी। इस व्यवस्था के तहत, अनेक क्यूएफआई, विशेषकर विभिन्न विदेशी नागरिकों का एक बड़ा तबका जो भारतीय इक्विटी बाजार में निवेश करना चाहता था, को सीधे ही निवेश करने की अनुमति नहीं थी। भारतीय रिजर्व बैंक और सेबी ने इस योजना के प्रचालन के लिए 13 जनवरी 2012 को संगत परिपत्र जारी किए हैं।

अर्हक विदेशी निवेशक (क्यूएफआई) योजना

5.76 पोर्टफोलियो निवेश मार्ग को और उदार बनाने के लिए, वर्ष 2011-12 के बजट में सेबी में पंजीकृत म्यूचुअल फण्डों को इक्विटी स्कीमों के लिए केवाईसी अपेक्षाओं को पूरा करने वाले विदेशी निवेशकों से अभिदान स्वीकृत करने की अनुमति दी। बजट घोषणा का कार्यक्षेत्र बढ़ाकर सेबी में पंजीकृत म्यूचुअल फण्डों को अवसंरचना क्षेत्र की ऋण योजनाओं के लिए क्यूएफआई से अभिदान स्वीकृत करने की अनुमति दे दी गई है। क्यूएफआई योजना 9 अगस्त 2011 से शुरू कर दी गई है।

सरकारी प्रतिभूतियों और कारपोरेट बांडों में एफआईआई निवेश

5.77 नवंबर 2011 में, सरकार ने भारत की बदलती बृहत-आर्थिक स्थिति तथा पूंजी प्रवाहों को बढ़ाने एवं कारपोरेट क्षेत्र के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की ज़रूरत के संदर्भ में नीति की समीक्षा की और यह निर्णय लिया कि (i) सरकारी प्रतिभूतियों में एफआईआई निवेश की मौजूदा सीमा में 5 बिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि करके उसे अधिकतम 15 बिलियन अमरीकी डालर करना (5 बिलियन अमरीकी डालर की वृद्धिकारी सीमा बिना किसी अवशिष्ट परिपक्वता के प्रतिभूतियों में निवेश की जा सकती है); और (ii) कारपोरेट बांडों में एफआईआई की मौजूदा सीमा में 5 बिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि करके उच्चतम सीमा को 20 बिलियन अमरीकी डालर करना (5 बिलियन अमरीकी डालर की वृद्धिकारी सीमा सूचीबद्ध कारपोरेट बांडों में लगाई जा सकती है)। तथापि, दीर्घावधिक अवसंरचना के कारपोरेट बांडों में निवेश सीमा 25 बिलियन अमरीकी डालर पर अपरिवर्तित रखी गई है। इसके चलते कारपोरेट बांडों और सरकारी प्रतिभूतियों में एफआईआई निवेश हेतु समग्र सीमा अब 60 बिलियन अमरीकी डालर हो गई है।

विदेशी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) नीति

5.78 संभावित उधारकर्ता दो मार्गों के तहत ईसीबी प्राप्त कर सकता है, नामशः स्वचालित मार्ग और अनुमोदन मार्ग। स्वचालित मार्ग के तहत शामिल न किए गए ईसीबी पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदन मार्ग के तहत मामला-दर-मामला के आधार पर विचार किया जाता है। ईसीबी संबंधी उच्च स्तरीय समिति ने ईसीबी के कार्यक्षेत्र को बढ़ाने के लिए 15 सितम्बर, 2011 को कई निर्णय लिए थे। इनमें ये शामिल हैं:

- i उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्ति (एचएनआई) जो सेबी द्वारा निर्धारित कसौटी को पूरा करते हैं, आईडीएफ में निवेश कर सकते हैं।
- ii आईएफसी को दीर्घावधिक अवसंरचना श्रेणी के कारपोरेट बांडों में एफआईआई निवेश करने के लिए पात्र निर्गमकर्ताओं के रूप में शामिल किया गया है।
- iii ईसीबी की अवसंरचना परियोजनाओं के रुपया ऋणों के पुनर्वित्त पोषण के लिए इस शर्त पर अनुमति दी जाएगी कि ऐसी ईसीबी का कम से कम 25 प्रतिशत रुपया ऋण की वापसी अदायगी में प्रयुक्त किया जाएगा और 75 प्रतिशत हिस्सा अवसंरचना क्षेत्र में नई परियोजनाओं में निवेश किया जाएगा। इसकी केवल अनुमोदन मार्ग के तहत ही अनुमति दी जाएगी।
- iv अवसरंचना क्षेत्र में कंपनियों द्वारा पूंजीगत वस्तुओं की खरीद हेतु ईसीबी के माध्यम से क्रेता/आपूर्तिकर्ता ऋण का पुनर्वित्तपोषण अनुमोदित किया गया था। इसकी भी केवल अनुमोदन मार्ग के तहत ही अनुमति दी जाएगी।
- v. निर्माण के दौरान ब्याज (आईडीसी) हेतु ईसीबी, जो अवसंरचना क्षेत्र में कंपनियों के लिए परियोजना निष्पादन चरण के दौरान ऋण पर संचित होती है, की अनुमति दी जाएगी। यह इस शर्त के अध्यधीन होगा कि आईडीसी का पूंजीकरण किया गया हो और यह परियोजना लागत का अंश हो।
- vi रनमिनपी (आरएमपी) को ईसीबी जुटाने के लिए स्वीकार्य मुद्रा के रूप में अनुमोदन दिया गया था बशर्ते मौजूदा ईसीबी की उच्चतम सीमा के भीतर 1 बिलियन अमरीकी डालर की सीमा हो। ऐसे उधारों की केवल अनुमोदन मार्ग के तहत अनुमति दी जाएगी।
- vii ईसीबी संबंधी वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, पात्र कारपोरेटों के लिए स्वचालित मार्ग के तहत मौजूदा ईसीबी की सीमा 500 मिलियन अमरीकी डालर से बढ़ाकर 750 मिलियन अमरीकी डालर की गई थी। सेवा क्षेत्र के उधारकर्ताओं के लिए यह सीमा 100 मिलियन अमरीकी डालर से बढ़ाकर 200 मिलियन अमरीकी डालर की गई थी तथा सूक्ष्म वित्त की गतिविधियों में सक्रिय एनजीओ के लिए मौजूदा 5 मिलियन अमरीकी डालर की सीमा बढ़ाकर 10 मिलियन अमरीकी डालर की गई थी। अन्य सभी शर्तें वर्तमान ईसीबी के दिशानिर्देशों के अनुसार लागू होंगी।
- viii वर्तमान ईसीबी दिशानिर्देशों के अनुसार स्वचालित मार्ग के अंतर्गत, विदेशी इक्विटी धारकों से ''सभी पात्र उधारकर्ताओं'' को भारतीय रुपये में मूल्यवर्गित ईसीबी लेने की अनुमति दी जाएगी सिवाय एनजीओ द्वारा लिए गए ईसीबी के मामलों के।

5.79 नवम्बर 2011 में, वैश्विक वित्तीय बाजारों के घटनाक्रमों और बृहत आर्थिक स्थितियों को देखते हुए ईसीबी नीति संशोधित की गई थी। ऑल-इन-कॉस्ट की उच्चतम सीमा बढ़ा दी गई थी और भारत में रुपया व्यय के लिए विदेशों में जुटाई गई ईसीबी की प्राप्तियों को तत्काल लाया जाना चाहिए। ऑल-इन-कॉस्ट की उच्चतम सीमा में किया गया परिवर्तन 23 नवम्बर, 2011 को प्रवृत्त किया गया और 31 मार्च 2012 तक प्रयोज्य है तथा यह बाद में समीक्षा किए जाने के अध्यधीन है।

वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी)

5.80 वर्ष 2010-11 के बजट में की गई घोषणा के अनुसरण में, वित्तीय स्थिरता बनाए रखने और आंतर-विनियामक समन्वयन बढ़ाने के लिए तंत्र को सुदृढ़ करने और उसे संस्थागत रूप देने के लिए, वित्त मंत्री की अध्यक्षता में एक शीर्ष स्तर की वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद स्थापित की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की अध्यक्षता में एफएसडीसी की एक उप-समिति भी स्थापित की गई है। अब तक, इस परिषद की तीन और उप-समिति की पांच बैठकें हो चुकी हैं जिनमें वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता और विकास संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई और निर्णय लिए गए हैं। एफएसडीसी के तत्वावधान में दो अधिकार प्राप्त तकनीकी समूहों (अर्थात वित्तीय शिक्षा संबंधी तकनीकी समूह और वित्तीय समावेशन तथा अंतर-विनियामक तकनीकी समूह) का गठन किया गया है।

वित्तीय क्षेत्र संबंधी विधायी सुधार आयोग (एफएसएलआरसी)

5.81 बजट 2010-11 में की गई घोषणा के अनुसरण में, वित्तीय क्षेत्र की समसामयिक जरूरतें पूरी करने के लिए वित्तीय क्षेत्र के कानून, नियमों और विनियमन के पुनर्लेखन और सामंजस्य को देखते हुए सरकार ने एफएसएलआरसी स्थापित की है। यह समिति वित्तीय क्षेत्र के कानूनों, जिनमें अधीनस्थ कानून शामिल हैं, की जांच करेगी। इसने दो तकनीकी/अनुसंधान टीमों को इस कार्य में लगाया है और विभिन्न कार्य दल गठित करने का निर्णय लिया है, प्रत्येक दल का अध्यक्ष आयोग का सदस्य होगा। पेंशन, बीमा, भविष्य निधि और लघु बचत तथा भुगतान प्रणालियों के संबंध में दो कार्य दल गठित किए गए हैं। प्रतिभूतियों, बैंकिंग और ऋण प्रबंधन के संबंध में अन्य कार्य दल गठित किए जा रहे हैं। ये कार्य दल इस आयोग द्वारा अनुमोदित किए गए मुख्य सिद्धांतों और दृष्टिकोणों पर कार्य करेंगे और क्षेत्र विशिष्ट ब्यौरों की जांच करेंगे, रिपोर्ट तैयार करेंगे और उस पर कानून बनाएंगे, तथा इस आयोग को रिपोर्ट करेंगे।

वित्तीय कार्रवाई संबंधी कृतिक बल (एफएटीएफ)

5.82 एफएटीएफ एक अंतर-सरकारी नीति निर्माता निकाय है जिसे धन शोधन और आतंकवादियों की वित्त व्यवस्था से मुकाबला करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक स्थापित करने हेतु मंत्रालयीय अधिदेश प्राप्त है। भारत जून, 2010 में एफएटीएफ से उसके 34वें सदस्य के रूप में जुड़ा था। इस समय, एफएटीएफ के 36 सदस्य हैं जिनमें 34 देश और दो संगठन नामशः यूरोपीय संघ और खाड़ी सहयोग परिषद हैं। भारत ने मेक्सिको में 20-24 जून 2011 को आयोजित एफएटीएफ के पूर्णाधिवेशन और कार्य दल की बैठकों में भाग लिया था। अप्रैल, 2011 में आयी एफएटीएफ की मूल्यांकन टीम ने भारत के मार्च, 2012 में उसकी मध्यावधिक वचनबद्धता योजना को पूरा करने की सही दिशा अपनाने की सराहना की थी।

भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग

5.83 भारतीय अर्थव्यवस्था के मजबूत बृहत आर्थिक सिद्धांतों का घरेलू और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों द्वारा सराहना की गई है। वित्त वर्ष में, अधिकतर विकसित अर्थव्यवस्थाएं जहां अनिश्चित विकास संभावनाओं तथा अपनी क्रेडिट रेटिंग बनाए रखने में विद्यमान कठिनाइयों का सामना कर रही हैं, वहीं दो अंतरराष्ट्रीय सॉवरेन रेटिंग एजेंसियों (डीबीआरएस और मूडीज) ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग संबंधी अपना नजरिया दुरुस्त करके भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग बढ़ाई है। हालांकि एसएण्डपी, फिच रेटिंग और आरएण्डआई ने अपनी पूर्ववत रेटिंग बनाए रखी है।

5.84 दिसम्बर, 2011 में, मूडीज ने घरेलू मुद्रा में मूल्यवर्गित दीर्घावधिक सरकारी बांडों के संबंध में रेटिंग Ba1 से बढ़ाकर Baa3 (सट्टा से निवेश ग्रेड) कर दी है। विदेशी मुद्रा में बैंक जमा राशियों पर देश की दीर्घावधिक उच्चतम सीमा को Ba1 से उन्नत कर Baa3 (सट्टा से निवेश ग्रेड) कर दिया गया है। पिछली बार द्वारा भारत के किसी दीर्घावधिक सॉवरेन ऋण लिखतों को सट्टा से निवेश ग्रेड में उन्नत किया गया था तो वर्ष 2004 में। इसके अतिरिक्त, मूडीज ने घरेलू मुद्रा में मूल्यवर्गित अल्पावधिक सरकारी बांडों को NP से उन्नत करके P-3 (सट्टा से निवेश ग्रेड) कर दिया है। 1998 में पहले-पहल निश्चित करने के पश्चात इस अल्पावधिक रेटिंग को पहली बार उन्नत किया गया है। इसके अलावा, जनवरी, 2012 में मूडीज ने विदेशी मुद्रा में रखी जमाराशियों पर देश की अल्पावधिक उच्चतम सीमा को NP से उन्नत करके P-3 किए जाने की पुष्टि की है (सट्टा से निवेश ग्रेड)।

5.85 मूडीज ने यह माना है कि 'भारत के विकास के विविध स्रोतों' (किसी एक उद्योग अथवा सेवा क्षेत्र का प्रभुत्व नहीं) ने वैश्विक झटकों के प्रति उसकी लोचशीलता बढ़ाई है' और यह कि '[भारत का] विकास, विभिन्न उत्पाद और भारतीय निर्यातों के गंतव्य बेहतर अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को प्रतिबिम्बित करते हैं'; जो आर्थिक लोचशीलता का अन्य स्रोत है। विकास दरों में आयी वर्तमान गिरावट की स्थिति 'वित्त वर्ष 2012/13 में फिर से उल्टी हो सकती है क्योंकि मुद्रास्फीति वर्तमान 9 प्रतिशत के स्तर से कम होगी'। मूडीज ने इस बात पर बल दिया है कि भारत के विकास की रफ्तार के संरचनात्मक प्रेरकों को वर्तमान चक्रीय गिरावट से क्षति नहीं पहुंचेगी।

5.86 मूडीज की रिपोर्ट से पहले जून 2011 में डीबीआरएस की रिपोर्ट आयी थी। डीबीआरएस ने भारत के दीर्घावधिक विदेशी और स्थानीय मुद्रा ऋण की प्रवृत्ति BBB (निम्न) को ऋणात्मक से उन्नत करके स्थिर श्रेणी में कर दिया था। डीबीआरएस ने अन्य बातों के अलावा, राजकोषीय समेकन के प्रति भारत के प्रयासों की यह कहकर प्रशंसा की कि वर्ष 2010 के आरंभ से, भारत के

प्राधिकारियों ने अपना राजकोषीय घाटा और ऋण कम करने में नई प्रतिबद्धता दिखाई है। इसके अलावा, जून, 2011 में, अपनी मौजूदा रेटिंग का समर्थन करते हुए फिच ने भी भारतीय प्राधिकारियों द्वारा किए गए अर्थव्यवस्था के प्रबंधन की यह कहकर प्रशंसा की है कि 'वैश्विक क्रेडिट संकट के संबंध में भारत की राजकोषीय और मौद्रिक नीति की कार्रवाई से अर्थव्यवस्था को फिर से उच्च विकास के पथ पर वापस लाने में मदद मिली है।'

वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम (एफएसएपी)

5.87 भारत का वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम (एफएसएपी) आरंभ में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष/विश्व बैंक द्वारा 2000-01 में पूरा किया गया था किन्तु इसे सार्वजनिक नहीं किया गया था क्योंकि यह 12 देशों के प्रायोगिक एफएसएपी मूल्यांकन का एक हिस्सा था। वित्तीय क्षेत्र के मूल्यांकन संबंधी समिति (सीएफएसए))-जिसके सह अध्यक्ष भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर और वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के सचिव हैं, ने 2009 में अपना स्वमूल्यांकन पूरा किया था। इसके बाद, मई 2010 में, भारत ने आईएमएफ/विश्व बैंक से पूर्णरूपेण एफएसएपी संचालित करने का अनुरोध किया था। तदनुसार, 2011 के दौरान भारत का एफएसएपी संचालित किया गया था। आईएमएफ/विश्व बैंक का स्कोपिंग मिशन एफएसएपी का उन्नयन संचालित करने के लिए 1 फरवरी, 2011 को वित्त मंत्रालय में आया था। एफएसएपी के दो मिशन 14-27 जून 2011 और 3-18 अक्तूबर, 2011 की अवधि में भारत आए थे। मिशन के निष्कर्ष और सिफारिशें विचार-विमर्श के अंतिम चरण में हैं। एफएसएपी की प्रक्रिया मार्च, 2012 तक पूरी हो जाने की संभावना है।

बीमा और पेंशन निधियां

बीमा क्षेत्र

5.88 एक सुदृढ़ और विकासशील बीमा क्षेत्र प्रत्येक आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए अनिवार्य महत्व रखता है। यह बचत की आदत को बढ़ावा देता है, ग्रामीण और शहरी उद्यमों तथा उद्यमशील व्यक्तियों को सुरक्षा कवच प्रदान करता है और अवसरंचना के विकास के लिए दीर्घावधिक निधियां सृजित करता है। बीमा उद्योग भारत की आधुनिक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। बीमा उद्यमों को आग और प्राकृतिक आपदाओं जैसे जोखिमों से बचाने के लिए जरूरी है। व्यक्ति को स्वास्थ्य देखभाल, जीवन, संपत्ति तथा पेंशन जैसे क्षेत्रों में बीमा सेवा की आवश्यकता होती है। इसलिए, निरन्तर आर्थिक बदलाव को पोषित करने के लिए बीमा क्षेत्र का विकास करना आवश्यक है। सामाजिक सुरक्षा और पेंशन सुधार भी एक परिपक्व बीमा उद्योग से लाभान्वित होते हैं।

5.89 इसके खोले जाने के समय से, बीमा उद्योग में भागीदारियों की संख्या वर्ष 2000 में सात बीमाकर्ता (जिनमें भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी), सरकारी क्षेत्र के चार साधारण बीमाकर्ता, एक विशेषज्ञ बीमाकर्ता, और राष्ट्रीय पुनः बीमाकर्ता के रूप में साधारण बीमा निगम) से बढ़कर 30 सितम्बर, 2011 की स्थिति के अनुसार 49 बीमाकर्ता हो गई जो जीवन, गैर-जीवन और पुनर्जीवन क्षेत्रकों (जिनमें विशेषज्ञ बीमाकर्ता, नामशः निर्यात क्रेडिट गारंटी निगम और कृषि बीमा कंपनी (एआईसी) शामिल हैं) में प्रचालनरत हैं। तीन साधारण बीमा कंपनियां नामशः स्टार हेल्थ एण्ड अलाइन्स इंश्योरेंस कंपनी, अपोलो म्यूनिख हेल्थ इंश्यारेंस कंपनी, और मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, स्टैण्ड अलोन स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के रूप में कार्य करती हैं। इस क्षेत्र को खोले जाने के पश्चात् जीवन बीमा के क्षेत्र में कार्य शुरू करने वली 23 बीमा कंपनियों में से 20 विदेशी भागीदारों के साथ संयुक्त उद्यम की हैं। अठारह निजी बीमाकर्ता कंपनियां जिन्होंने गैर-जीवन बीमा क्षेत्रकों में कार्य शुरू किया है, में से सोलह कंपनियां विदेशी भागीदारों के सहयोग से चल रही हैं। इस प्रकार, 31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार, देश में निजी क्षेत्र की 36 बीमा कंपनियां दुनिया भर की प्रतिष्ठित विदेशी बीमा कंपनियों के सहयोग से कार्य कर रही हैं।

जीवन बीमा

5.90 वित्त वर्ष 1999-2000 तक जीवन बीमा के एक मात्र प्रदाता होने के बाद से एलआईसी आज इस उद्योग में निजी क्षेत्र की उन 23 बीमा कंपनियों से प्रतिस्पर्धा कर रही है जिन्होंने 2000-10 की अवधि में अपना कार्य शुरू किया है। 1996-97 से 2000-01 की अवधि के दौरान 19.8 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज करने वाले इस उद्योग ने इसके खोले जाने के बाद 2001-02 से 2010-11 के दौरान 24.3 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की है। 2001-02 और 2010-11 के बीच बीमा क्षेत्र में प्रथम वर्ष के प्रीमियम में 34 प्रतिशत की औसत वृद्धि रही है।

5.91 जीवन बीमाकर्ताओं ने 2009-10 के 1,09,894 करोड़ रुपए की तुलना में 2010-11 में 1,26,381 करोड़ रुपए का नए बीमा कारोबार किया जो 15 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। इस नए बीमा कारोबार में जीवन बीमा निगम 87012.35 करोड़ रुपये (68.9 प्रतिशत बाजार हिस्सा) और निजी बीमाकर्ताओं का 39368.65 करोड़ रुपये (31.1 प्रतिशत बाजार हिस्सा) का कारोबार रहा। इन बीमाकर्ताओं का बाजार हिस्सा 2009-10 की तदनुरूप अवधि में क्रमशः 65.1 प्रतिशत और 34.9 प्रतिशत था

गैर-जीवन बीमा

5.92 इस उद्योग, जिसने 1996-97 से 2000-01 की अवधि के दौरान लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि दर सूचित की थी, ने इस क्षेत्र के खोले जाने के बाद से 2001-02 से 2010-11 की अवधि में 15.85 प्रतिशत की वार्षिक औसत वृद्धि सूचित की है। इसके अलावा, विशिष्टीकृत बीमाकर्ताओं निर्यात क्रेडिट गारंटी निगम और कृषि बीमा कंपनी (एआईसी) क्रमशः क्रेडिट गारंटी और फसल बीमा प्रदान कर रही है। एआईसी जो आरंभ में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस) के तहत कवरेज प्रदान कर रही थी, ने अब

वाणिज्यिक तर्ज पर फसल बीमा कवर प्रदान करना आरंभ कर दिया है। इसने कई नवीन उत्पाद आरंभ किए हैं, जैसे मौसम बीमा और विशिष्ट फसल उत्पाद।

5.93 गैर जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा लिया गया प्रीमियम 2009-10 के 34,620 करोड़ रुपए के मुकाबले 2010-11 में 42,576 करोड़ रुपए था। यह वृद्धि विशेष रूप से टैरिफ दरों में की गई बड़ी कटौतियों को देखते हुए सन्तोषजनक थी। निजी बीमाकर्ताओं ने 2009-10 के 13,977 करोड़ रुपए के मुकाबले 17,424.6 करोड़ का बीमा प्रीमियम लिया और 2009-10 के 13.4 प्रतिशत के मुकाबले 24.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। दूसरी तरफ, सरकारी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं ने 2009-10 में 20,643.5 करोड़ रुपए की तुलना में 2010-11 में 25,151.8 करोड़ रुपए का बीमा प्रीमियम लिया अर्थात 2009-10 में 14.5 प्रतिशत की तुलना में 21.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। गैर जीवन बीमाकर्ताओं ने 23.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 2009-10 के 35,620 करोड़ रु० के मुकाबले वित्त वर्ष 2010-11 में 42,576 करोड़ रु० का बीमा प्रीमियम लिया। 2010-11 में सरकारी और निजी बीमाकर्ताओं का बाजार हिस्सा क्रमशः 60 और 40 प्रतिशत के स्तर पर पिछले वर्ष की भांति समान रहा।

बीमा व्याप्ति

5.94 अन्तरराष्ट्रीय तौर पर बीमा क्षेत्र का विकास बीमा व्याप्ति के मापदण्ड के आधार पर मापा जाता है। बीमा व्याप्ति को किसी निर्धारित वर्ष में जीडीपी के प्रति हामीदारी किए गए प्रीमियम के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसी तरह, बीमा घनत्व दूसरा जाना पहचाना बैंचमार्क है और इसे किसी निर्धारित वर्ष में कुल आबादी के प्रति हामीदारी किए गए प्रीमियम के अनुपात के रूप में (तुलना की सुविधा हेतु अमरीकी डालर में मापित) परिभाषित किया जाता है। बीमा कारोबार विगत में बीमा व्याप्ति के निम्न स्तर के चलते अविकसित रहा है। उदारीकरण के बाद यह क्षेत्र बीमा व्याप्ति का स्तर वर्ष 2000 के 2.3 (जीवन बीमा 1.8 और गैर-जीवन 0.7)से बढ़ाकर 2010 में 5.1 (जीवन बीमा 4.4 और गैर-जीवन 0.7) करने में सफल हुआ।

मुख्य नीतिगत पहलें

(1) **स्वास्थ्य बीमा संबंधी पहलें: बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण** (इरडा) स्वास्थ्य बीमा के प्रसार के लिए पहलों के अंतर्गत कई सक्रिय कदम उठा रहा है। इसने वर्ष 2003 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा कार्य दल का गठन किया था जिसने स्वास्थ्य बीमा उद्योग में विभिन्न हितधारकों को साथ मिलकर काम करने का मंच प्रदान किया और इस क्षेत्र के विभिन्न प्रासंगिक मुद्दों का समाधान किया। पिछले दशक में, स्वास्थ्य बीमा उत्पादों का प्रीमियम 2001-02 में 675 करोड़ रुपए से बढ़कर 2010-11 में 11,480 करोड़ रु० हो गया। इरडा पॉलिसीधारकों के हित में तथा और बेहतर समझ पैदा करने के लिए स्वास्थ्य बीमा दस्तावेजों में प्रयोग की गई कतिपय प्रमुख शब्दावली को मानकीकृत करने के लिए बीमा उद्योग के साथ समन्वय कर रहा है और उन्हें प्रोत्साहन दे रहा है। साधारण बीमा परिषद जिसमें सभी गैर जीवन बीमाकर्ता शामिल हैं, ने ''पहले-मौजूद रोगों'' और इसके 'बहिर्वेशन' शब्द की समान रूप से परिभाषा करने के लिए सर्वसम्मति बनाई है' जो पूर्व में कई परिभाषाओं, तथा और अधिक व्याख्याओं की अभिव्यक्ति रही है एवं निश्चित रूप से कई शिकायतों का भी कारण रही है। 1 जून, 2008 से लागू ऐसा मानकीकरण अस्पष्टता को कम करने और स्वास्थ्य बीमा उत्पादों की बेहतर तुलना करके बीमित व्यक्तियों की मदद करेगा। 1 अक्टूबर 2011 से स्वास्थ्य बीमा सुवाह्यता आरंभ कर दी गई है, जिसमें यदि बीमित व्यक्ति बीमाकर्ता के मौजूदा सेवा अथवा उत्पाद से संतुष्ट नहीं है, तो वह बदलकर दूसरे बीमाकर्ता से अपनी उसी पॉलिसी के लिए सेवा के वही लाभ ले सकता है (खासतौर से पहले मौजूद बीमारी के लिए)।

(2) **लघु बीमा:** इरडा द्वारा जारी किए गए लघु बीमा विनियमों में परिकल्पित मुद्दे के तौर पर लघु बीमा का प्रसार करने के लिए प्रोत्साहन दिया है। यह आशा है कि लघु बीमा विनियमों के तहत अपनाई गई सकारात्मक और सरलीकरण प्रक्रिया के चलते, सभी बीमा कम्पनियां प्रगतिशील व्यवसाय प्रणाली अपनाएंगी और विनियमों की भावना पर कार्य करेंगी तथा इस तरह समाज के सभी वर्गों के लिए बीमा व्याप्ति प्रदान करेंगी। वर्ष 2010-11 के अंत में लघु बीमा क्षेत्र में 10,482 लघु बीमा एजेंट कार्यरत थे। लघु जीवन बीमा में इस वर्ष में नया कारोबारी प्रीमियम 36.5 लाख पॉलिसियों के तहत 130.4 करोड़ रुपये था और समूह कारोबार 1.5 करोड़ व्यक्तियों के तहत 155.2 करोड़ रुपये प्रीमियम था। लघु -गैर-जीवन बीमा में वसूला गया सकल प्रीमियम 2010-11 में 393.4 करोड़ रुपये था जबकि 2009-10 में यह 193.1 करोड़ रुपये था।

(3) **बीमा कानून (संशोधन) विधेयक 2008:** सरकार ने राज्य सभा में 22 दिसम्बर, 2008 को बीमा कानून (संशोधन) विधेयक प्रस्तुत किया था। इस विधेयक का लक्ष्य बीमा अधिनियम 1938, साधारण बीमा कारोबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 और बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 मे संशोधन करना था। वित्त संबंधी स्थायी समिति ने संसद में 13 दिसम्बर, 2011 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। सरकार द्वारा इस समिति की रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

एलआईसी अधिनियम 1956 में संशोधनः एलआईसी (संशोधन) विधेयक, 2011 संसद में लोकसभा द्वारा 12 दिसम्बर, 2011 और राज्य सभा द्वारा 14 दिसम्बर, 2011 को पारित किया गया था। इन संशोधनों से एलआईसी अपनी इक्विटी पूंजी को 5 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये करके अपने कारोबार का विस्तार करने तथा अपनी कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारियां पूरी करने हेतु प्रयुक्त की जाने वाली एक प्रारक्षित निधि सृजन करने में सक्षम होगा।

पेंशन क्षेत्र

5.95 एनपीएस के तहत बनाए रखी जा रही मूल निधि 12,407.4 करोड़ रुपये है। 1 मई 2009 से भारत में सभी नागरिकों के लिए एनपीएस को इससे स्वैच्छिक रूप से जोड़ने हेतु खोला गया था। हालांकि एनपीएस देश में उपलब्ध शायद सबसे सस्ते वित्तीय उत्पादों में से एक है, इसे आर्थिक रूप से कमजोर लोगों हेतु किफायती बनाने के लिए पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने सितम्बर, 2010 में 'स्वावलंबन' नामक अपेक्षाकृत कम लागत वाली एनपीएस की शुरुआत की थी, जो लोगों को पर्याप्त मात्रा में कम लागत पर एनपीएस से जुड़ने में समर्थ बनाती है।

हालिया उपाय

5.96 सरकार कामकाजी गरीब लोगों की वृद्धावस्था आय सुरक्षा के लिए बहुत चिन्तित है और उन्हें एनपीएस में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने एवं समर्थ बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। असंगठित क्षेत्र में कामगारों को अपनी वृद्धावस्था के लिए स्वैच्छिक रूप से बचत करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु 26 सितंबर 2010 को स्वावलम्बन योजना नामक उपक्रम शुरू किया गया। यह एक सह-अंशदायी पेंशन स्कीम है जिसमें सरकार 1000 रुपये से 12000 रुपये प्रति वर्ष के खोले गए प्रत्येक एनपीएस खाते में 1000 रुपये प्रतिवर्ष की राशि का अंशदान करेगी।

5.97 स्वावलम्बन योजना आरंभ में उन लाभानुभोगियों के लिए तीन वर्ष के लिए शुरू की गई थी जिन्होंने 2010-11 में स्वयं नामांकन करवाया हो। इस योजना को अब 2010-11 और 2011-12 में नामांकित लाभानुभोगियों के लिए पांच वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है। हाल ही में संग्राहक के लिए प्रति अभिदान आधार पर प्रोत्साहन और उपस्थिति-स्थलों (पीओपी) में वृद्धि की गई है। वर्ष 2010-11 के दौरान कुल 3,01,920 अभिदाताओं और 2011-12 (30 दिसम्बर 2011 तक) के दौरान 90,256 अभिदाताओं ने स्कीम में नामांकन करवाया।

एनपीएस का निष्पादन

5.98 अनेक राज्य सरकारें, स्वायत्त निकाय और उपक्रम अपने कर्मचारियों को एनपीएस में शामिल करने के लिए पीएफआरडीए के साथ वार्ता कर रहे हैं। गैर-सरकारी एनपीएस खण्ड में, एनपीएस-लाइट/स्वावलम्बन स्पष्ट रूप से सर्वाधिक पंसदीदा उत्पाद रहा है। स्वावलम्बन और 24 संग्राहकों के सम्मिलित प्रयास वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। पीएफआरडीए ने असंगठित क्षेत्र में पेंशन कार्यान्वयन की समीक्षा हेतु विशेष समिति (सीआरआईआईपी) गठित की थी जो एनपीएस से जुड़े अनेक मुद्दों पर विचार कर सके जैसेकि जनता से मिली धीमी प्रतिक्रिया, वित्तीय उत्पाद के रूप में एनपीएस की अर्थक्षमता, एनपीएस को लोकप्रिय बनाने के तरीके और इस भूमिका के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एजेंसी, एनपीएस के लिए अर्थक्षम आर्थिक मॉडल तथा संपूर्ण एनपीएस संरचना में पीएफएम की भूमिका तथा इनके संबंध में उपचारात्मक उपाय सुझा सके। समिति की सिफारिशों का धीरे-धीरे कार्यान्वयन किया जा रहा है।

चुनौतियां और संभावनाएं

5.99 एक बड़ी वजह जिसके चलते भारत वर्ष 2008 के वैश्विक संकट से काफी हद तक अछूता निकल आया, वह है एक कठोर ईसीबी नीति जिसमें कारपोरेटों द्वारा लिए जाने वाले विदेशी उधारों पर ऑल-इन-कॉस्ट, अंतिम प्रयोग और परिपक्वता संबंधी प्रतिबंध लगाए गए हैं। परिणामतः भारत के विदेशी ऋण एवं सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात 1991-92 के 38.7 प्रतिशत से कम होकर 2010-11 में 17.8 प्रतिशत रह गया जबकि ऋण शोधन अनुपात 30.2 प्रतिशत से गिरकर 4.2 प्रतिशत रह गया। इसलिए कारपोरेटों को तुलनपत्र से जुड़ी मंदी का जोखिम नहीं था जो अत्यधिक विदेशी उधारों के कारण हो सकती थी। परिणामतः ईसीबी नीति के उदारीकरण के लिए विदेशी ऋण के अनुपातों को वहनीय स्तर पर बनाए रखने की जरूरत का ध्यान रखा जाना चाहिए। यह इस तथ्य के कारण अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है कि विदेशी ऋण के अनुपात के ऊंचे स्तरों ने 1990 के दशक के आरंभ में भुगतान शेष संकट को बढ़ावा दिया था।

5.100 अर्थव्यवस्था के दीर्घावधिक सम्पोषणीय विकास की कुंजी अवसंरचना विकास है। लेकिन बैंक द्वारा किए जाने वाले वित्तपोषण पर अत्यधिक निर्भरता के चलते अवसंरचना का वित्तपोषण एक बाधा बना हुआ है। हालांकि सीडीएस को शुरू करने से इस प्रक्रिया में मदद मिलने की संभावना है, फिर भी कारपोरेट बांड बाजार को अवसंरचना के वित्तपोषण की प्रक्रिया के केन्द्र में लाने के लिए नवीन परिवर्तनों की जरूरत है।

5.101 यूरोपीय बैंकों के लिए हालिया विनियामक आदेशों से डीलेवरेजिंग की आशंकाएं उठी हैं। ऐसी संभावना नहीं है कि भारतीय बैंक संकटग्रस्त क्षेत्र में अपने नगण्य जोखिम के कारण कोई प्रत्यक्ष प्रभाव महसूस करेंगे। लेकिन निधिपोषण संबंधी दबावों के कारण वे अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो सकते हैं। वित्तीय विनियमों में प्रतिचक्रीय वित्तीय नीति की गुंजाइश ढूंढी जा सकती

है ताकि संचित वित्तीय जोखिमों का नकारात्मक प्रभाव कम किया जा सके। इससे वित्तीय तंत्र के लिए जरूरी स्थिरता कायम करने में बहुत मदद मिलेगी।

5.102 पेंशन सुधार जरूरी है। इससे न सिर्फ विकास के लिए दीर्घावधिक बचतों की प्राप्ति ही हो सकेगी बल्कि इससे देश में एक विश्वसनीय और सम्पोषणीय सामाजिक सुरक्षा तंत्र कायम करने में भी मदद मिलेगी। विशेषकर असंगठित क्षेत्र के कामगारों को अपेक्षाकृत कम वित्तीय जानकारी, थोड़ी सी भी अधिशेष राशि का उपलब्ध न होना, सह-अंशदायी स्वावलम्बन योजना को लेकर अधिकतर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की अब तक सुस्त प्रतिक्रिया पेंशन नेटवर्क में भारतीय समाज के गरीब वर्गों को पूरी तरह शामिल करने की प्रक्रिया में एक बड़ी चुनौती है।

5.103 वित्तीय क्षेत्र का विकास वित्तीय समावेशन पर अत्यधिक निर्भर है, जिसे आर्थिक विकास के एक महत्वपूर्ण निर्धारक के रूप में देखा जा रहा है। वित्तीय समावेशन की कार्यनीति को सफल बनाने के लिए बैंकों को संभावित उपभोक्ताओं के व्यवहार और प्रेरणा तत्वों पर ध्यान देना होगा। इसके अलावा, वित्तीय उत्पादों की सुलभता अनेक समस्याओं से ग्रस्त है जिनमें जागरूकता की कमी, मंहगे उत्पाद, उच्च लेनदेन लागत और ऐसे उत्पाद शामिल हैं जो व्यक्ति विशेष की जरूरत के लिए तैयार नहीं किए जाते तथा निम्न कोटि के होते हैं। आने वाले समय में एक बड़ी चुनौती विशेषकर असंगठित क्षेत्र और सूक्ष्म एवं लघु कारोबारी क्षेत्र में स्व-रोजगार में लगे लोगों की वित्तपोषण की जरूरतों को पूरा करने की होगी।

5.104 अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, बीमा और पेंशन खण्डों को उनके विशिष्ट दीर्घावधिक केवल दीर्घ निवेश शैली को देखते हुए वित्तीय स्थिरता में योगदान करने वाला माना जाता है। भारतीय बीमा क्षेत्र का पर्याप्त पूंजीकरण हो चुका है लेकिन वे बैंकिंग व्यवस्था के जोखिमों से बहुत अधिक जुड़े हैं। अनेक बीमा कम्पनियों के वित्तीय समूहों का हिस्सा होने के चलते बीमा और बैंकिंग क्षेत्रों के बीच अन्तः संपर्क चिन्ता का सबब है। समूह में बैंकों से संबंधित वित्तीय स्थिरता के किसी भी मुद्दे का बीमाकर्ता पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए, विशेषकर संकट के समय में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को संक्रामक प्रभाव का अन्तरण रोकने के लिए सुरक्षा-उपाय करने के प्रयास किए जाने होंगे। आशा है कि पूंजी जुटाने का सामर्थ्य और पर्याप्त पुनर्बीमा क्षमता बीमा क्षेत्र की सतत् स्थिरता के महत्वपूर्ण निर्धारक सिद्ध होंगे।